

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019—माघ 1, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

सूचना

क्र. 336-वि.यो. 419-नगानि-2019.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खरगोन निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. जिला कलेक्टर, खरगोन
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खरगोन.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

राहुल जैन, संचालक.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. एफ-03-07-2019-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 336-वि.यो.419-नगानि-2019, दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2019

NOTICE


No. 336-MPS-419-TCP-2019.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Khargone Planning area has been published on 21st January 2019 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of :—

1. Commissioner, Indore Division, Indore
2. Collector, District-Khargone
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Khargone
4. Assistant Director, Town and Country Planning District, office Khargone, Madhya Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Khargone, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

RAHUL JAIN, Director.

खरगोन विकास योजना 2031 (प्रारूप)



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

खरगोन नगर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित पश्चिम निमाड़ जिले का मुख्यालय नगर है। यह नगर नर्मदा नदी की सहायक कुंदा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर क्षेत्रीय दृष्टि से इंदौर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 (आगरा-मुंबई रोड) के द्वारा जुलवानिया एवं कसरावद से जुड़ा हुआ है। खरगोन मुख्यतः राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 (जुलवानिया-खंडवा रोड), राज्य राजमार्ग क्रमांक-1 (कसरावद-खरगोन रोड) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक-31 (खरगोन-बिस्तान रोड) के संगम पर बसा हुआ है, जिस कारण यह अन्य बड़े नगरों जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन एवं खंडवा से जुड़ा हुआ है। परंतु खरगोन का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित ना होने के कारण नगर का समुचित विकास नहीं हो सका। पुरातत्व महत्व का मुगल कालीन किला एवं बीजासन सरकार के अधीन राजमहल यहां स्थित है। क्षेत्रीय महत्व एवं कार्यकलापों की दृष्टि से वर्तमान नगर प्रशासकीय केंद्र, कृषि उत्पाद आधारित व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है।

जिला मुख्यालय नगर के विकास की पर्याप्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर का सुनियोजित विकास आवश्यक है। संभावित विकास को दृष्टिगत रखते हुए तथा नगर को सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करने एवं यहां के निवासियों को नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से खरगोन विकास योजना 2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2.85 लाख मानते हुए तैयार की गई है, जिसमें भूमि के युक्तियुक्त उपयोग का निर्धारण, वर्तमान आवासीय क्षेत्रों को अतिक्रमण एवं आवांछित भू-उपयोगों से मुक्त कराना, यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से सुगम परिवहन तंत्र की व्यवस्था, प्राकृतिक स्थलों का भू-दृश्यीकरण, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों हेतु भूमि का प्रस्ताव, मूलभूत सेवा सुविधाओं का प्रावधान आदि समावेश किया गया है।

नगर के सर्वांगीण भावी विकास हेतु खरगोन नगर की विकास योजना 2031 का प्रारूप, जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। हमें आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील सुझाव को व्यक्त करेंगे, ताकि उनके सक्रिय योगदान से इसे अंतिम रूप देकर जन अपेक्षा अनुरूप, खरगोन विकास योजना 2031 को प्रभावशील किया जा सके।



(राहुल जैन)
संचालक

नगर तथा ग्राम

निवेश

भोपाल (मध्य प्रदेश)

; kstuk ny

अपर संचालक
Jh ch-, u- f=i kBh

संयुक्त संचालक
MkW vfer x t fHk; s

सहायक संचालक
Jh t; o/kū jk; bUnq f=i kBh

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हडको) के अधिकारीगण

कार्यकारी निदेशक
Å"kk çl kn egkohj

संयुक्तमहाप्रबंधक
o"kkz i qgkuh

कर्मचारीगण

Jh ih-, l -ckro
Jh ykcdūnz fl g pkjku
Jh ; 'kor l ksyadh
Jh prū i kpi k. Ms

Jh v: .k ojkMi k. Ms
Jh t; Ur 'khy
Jh i li fl g jkēMs

fo"k; I ph

çLrkouk	i
; kst uk ny	iii
fo"k; I ph	iv
I kj . kh I ph	viii
ekufp=ka dh I ph	x

v/; k; 1 uxj ifjp; 1&10

1.1	नियोजन एवं विकास संदर्भ	1
1.2	खरगोन विकास योजना 2011– क्रियान्वयन परिदृश्य	2
1.3	योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन	2
1.3.1	आवासीय	4
1.3.2	वाणिज्यिक	4
1.3.3	औद्योगिक	4
1.3.4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवायें	4
1.3.5	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें	5
1.3.6	आमोद–प्रमोद	5
1.3.7	यातायात एवं परिवहन	5
1.3.8	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	5
1.4	योजना की अवधारणा	5
1.4.1	क्षेत्रीय सन्दर्भ में नियोजन	6
1.5	भौतिक स्वरूप	6
1.5.1	प्राकृतिक जलमल निकास	7
1.6	जलवायु	7
1.7	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	8
1.8	विकास के आधारभूत सिद्धांत	9

v/; k; 2 fodkl ifj-' ; rFkk çLrkfor uxjh; v/kksd ġpuk 11&34

2.1	क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संदर्भ	11
2.2	व्यवसायिक संरचना	11
2.3	निवेश क्षेत्र	12

2.4	नगर का जनांकिकी विवरण (जनसंख्या परिवर्तन)	15
2.5	योजना काल	16
2.5.1	खरगोन विकास योजना 2031 – लक्ष्य तथा उद्देश्य	17
2.6	नगर के लिए मुख्य कार्यकलाप	17
2.7	नियोजन अवधारणा	18
2.8	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2031)	18
2.8.1	आवास	19
2.8.2	मिश्रित क्षेत्र	24
2.8.3	वाणिज्यिक क्षेत्र	25
2.8.4	औद्योगिक	26
2.8.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	27
2.8.6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएं	27
2.8.7	आमोद प्रमोद	27
2.8.8	यातायात एवं परिवहन	27
2.8.9	पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र एवं वन	28
2.9	निवेश इकाईयाँ	28
2.10	ग्राम विकास (नगरीय ग्राम)	29
2.11	मध्य क्षेत्र	29
2.11.1	यातायात समस्याएं (मध्य क्षेत्र)	30
2.12	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	31
v/; k; 3 çLrkfor ; krk; kr l j̄puk , oa uxjh; v/kks̄ j̄puk		35&44
3.1	प्रस्तावित यातायात तंत्र	35
3.2	यातायात पद्धति में सुधार	35
3.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली	36
3.3.1	प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	36
3.3.2	जंक्शन डिजाइन और सुधार	37
3.3.3	पादचारी मार्ग और साइकिल ट्रैक	38
3.3.4	वाहन विराम स्थल/पार्किंग प्रावधान	38
3.3.5	मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था	39
3.3.6	सार्वजनिक परिवहन	39
3.3.7	ट्रांसपोर्ट नगर/माल दुलाई टर्मिनल	39
3.3.8	बस डिपो/बस स्टैंड	40

3.3.9	ऑटो और तांगा स्टैण्ड	40
3.4	नगरीय अधोसंरचना	41
3.4.1	जल प्रदाय	41
3.4.2	जल-मल निकास	42
3.4.3	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	42
3.4.4	विद्युत प्रदाय	43
3.4.5	भू-जल आवर्धन	44
3.5	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खंडीय आवश्यकताएं	44
3.5.1	अग्निशमन सेवा केन्द्र	44
3.5.2	श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान	44

v/; k; 4 fodkl fu; eu 45&69

4.1	प्रवृत्तशीलता	45
4.2	क्षेत्राधिकार	45
4.3	परिभाषाएं	47
4.4	उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग परिसर	48
4.5	नवीन आवासीय परिक्षेत्र हेतु नियमन	48
4.5.1	समूह आवास	51
4.5.2	विधि बहुमंजिली इकाई निर्माण	51
4.6	फार्म हाउस (वन आवास)	51
4.7	मध्य क्षेत्र	51
4.7.1	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	54
4.8	वाणिज्यिक क्षेत्र	56
4.9	औद्योगिक विकास मानक	57
4.10	सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक :	57
4.11	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	57
4.12	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र	59
4.13	छविग्रहों के लिय मापदण्ड	59
4.14	जन सुविधाओं हेतु विकास मानक	59
4.14.1	सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधाएं	59
4.15	शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र	59
4.16	अन्य नियंत्रण	61
4.17	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन	61

4.18	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	62
4.19	विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया	67
4.20	विकास योजना प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)	69
v/; k; 5 ; kst uk fØ; kÙo; u		71&80
5.1	विकास योजना का क्रियान्वयन	71
5.2	विकास क्रियान्वयन की नीति	73
5.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	73
5.3.1	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व	73
5.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	74
5.4.1	नियंत्रित विकास	74
5.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन	75
5.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना	75
5.4.4	भूमि विकास नीति	76
5.4.5	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व	76
5.4.6	संसाधन गतिशीलता	77
5.5	प्रथम चरण कार्यक्रम	77
5.6	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	77
5.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	78
5.8	योजना की व्याख्या	80
vud ÷ph ¼i fj l jks dh i fj Hkk"kk, ½		81&90
i fjf' k"V		91&99

I kj . kh I vph

I kj . kh Øekad	' kh"kd	i "B l a
1-सा-1	खरगोन योजना क्रियान्वयन की स्थिति (2017)	3
2-सा-1	मुख्य कामगारों की संरचना, खरगोन, 2001 तथा 2011	12
2-सा-2	खरगोन निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं	13
2-सा-3	खरगोन विकास योजना-2031 की निवेश क्षेत्र की सीमाएं	13
2-सा-4	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	16
2-सा-5	प्रस्तावित भूमि उपयोग	19
2-सा-6	खरगोन नगरपालिका के रिकॉर्ड के अनुसार गंदी बस्ती इलाकों की सूची	20
2-सा-7	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता 2031	22
2-सा-8	आय समूह अनुसार आवास इकाईयों की आवश्यकता	23
2-सा-9	खरगोन नगर के प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	30
2-सा-10	असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों की सूची	31
3-सा-1	वर्तमान मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई	37
3-सा-2	जल आपूर्ति आवश्यकता का अनुमान	41
3-सा-3	सीवेज का अनुमान	42
3-सा-4	कचरा जेनरेशन का अनुमान	42
3-सा-5	विद्युत आपूर्ति मांग का विश्लेषण	43
4-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र खरगोन	48
4-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास मापदंड	49
4-सा-3	मध्य-क्षेत्र : फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तथा भूखण्ड आच्छादन	52
4-सा-4	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी अनुपात	53

4-सा-5	वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू-खंड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	55
4-सा-6	वर्तमान वाणिज्यिक अन्य क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी अनुपात	55
4-सा-7	वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड	56
4-सा-8	यातायात नगर के मानक	58
4-सा-9	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	58
4-सा-10	शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु मापदंड	60
4-सा-11	खरगोन भूमि उपयोग में स्वीकृत उपयोग	62
5-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत (2031)	72
5-सा-2	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	78

ekufp=ka dh I ph

I kj . kh Øekad	' kh"kd	i\ Øekad
1.	वर्तमान भूमि उपयोग	4 अ
2.	क्षेत्रीय स्थिति	6 अ
3.	निवेश क्षेत्र	12 अ
4.	प्रस्तावित भूमि उपयोग	18 अ
5.	निवेश इकाईयाँ	28 अ
6.	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	36 अ
7.	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	36 ब
8.	मार्गों का क्रॉस सेक्शन	38 अ—ब
9.	प्रथम चरण	78 अ

1-1 fu; kstu , oa fodkl | nHkZ %

भारत में हाल के दशकों में तेजी से विकास होने के फलस्वरूप शहरीकरण हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में शहरों और कस्बों ने केन्द्रीय भूमिका अदा की है। विश्व की आधे से भी अधिक वर्तमान शहरी आबादी छोटे एवं मध्यम शहरों एवं कस्बों में रहती है। 21वीं सदी की शहरी विकास की सबसे बड़ी चुनौती इन छोटे शहरों एवं कस्बों में वृद्धि को समन्वित करना है।

विकास योजना किसी भी शहर की वृद्धि को समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विकास योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में रह रही आबादी के जीवन स्तर में सुधार किया जाए तथा भविष्य में विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि तथा अधोसंरचना की मांग को पूरा किया जा सके। इस संदर्भ में खरगोन की विकास योजना – 2011 का पुनर्विलोकन प्रारूप तैयार करना महत्वपूर्ण है।

खरगोन नगर मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक मध्यम आकार का नगर है। यह जिला प्रधानतः एक आदिवासी जिला है तथा जो मुगलकाल में बीजागढ़ सरकार के अधीनमहल का प्रशासनिक मुख्यालय था। खरगोन नगर जिले का मुख्यालय है। वर्तमान विकास योजना-2031 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार खरगोन निवेश क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है।

पूर्व निर्मित खरगोन विकास योजना 2011 नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम प्रयास था। खरगोन विकास योजना को 2011 के लक्ष्य वर्ष के लिये तैयार किया गया था। खरगोन विकास योजना 2011 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-3-31-2002/32/दिनांक 05.12.2002 द्वारा अंगीकृत किया गया था।

[kjxku fodkl ; kstuk 2031 dcy{; rFkk mÍŒ ; bl çdkj gŒ %

- भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग।
- समुचित तथा उपयुक्त आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव।
- कुशल परिवहन प्रणाली का विकास जिसमें यात्री एवं माल यातायात सुरक्षित एवं द्रुतगति से हो सके।
- नगरीय गतिविधियों से सामंजस्यपूर्ण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु समुचित भूमि का प्रावधान।

- मूलभूत सेवा सुविधाओं का समुचित प्रावधान।
- प्राकृतिक भूदृश्य पर्यावरण का संरक्षण।
- कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण एवं आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य केन्द्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना।
- गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुर्नस्थापन।

; kstuk dē i pfozykdu rFkk mi kUrj.k dē v/; ; u dē fy; s fn'kk fu/kkZ .k dē fclnq fuEukuq kj gS %

- योजना के लिए सन 2031 तक भावी जनसंख्या का अनुमान तथा विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन।
- आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का आंकलन।
- सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का पूर्वानुमान।
- क्षेत्रीय एवं नगरीय कार्यकलापों के दक्षतापूर्व निष्पादन हेतु उपयुक्त परिवहन संरचना।
- अकार्य क्षेत्र एवं असंगत भू उपयोगों का अध्ययन एवं उपयोगिता अनुसार परिवर्तन।

1-2 [kj xksu fodkl ; kstuk 2011 & fØ; kllō; u i fj—' ; %

विकास योजना 2011 जनसंख्या परिदृश्य, व्यापार तथा वाणिज्य, उद्योग, आवास, भूमि उपयोग तथा अन्य पहलुओं को शामिल करते हुए नगर की विद्यमान स्थिति के विश्लेषण पर आधारित था। योजना क्रियांवयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य था किंतु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

fo'k'skdj fuEufyf[kr fclnqyka ij çca'ku dē vHkko ea ; kstuk çHkkfor gpZ gS %

- आर्थिक अवसर तथा विकास के लिए उपर्युक्त भूमि उपलब्धता के अभाव के कारण नगर में विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है।
- विकास योजना में क्रियांवयन सम्बन्धी प्रस्तावों को क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय का अभाव के कारण लागू नहीं किया जा सका।

1-3 ; kstuk fØ; kllō; u dk eW; kdu %

निवेश क्षेत्र की आबादी 1991 में 72,894 थी जिसमें नगरपालिका क्षेत्र की आबादी 66,786 थी। योजना में 2011 में निवेश क्षेत्र की आबादी 1,50,000 अनुमानित थी। वस्तुतः इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं होना यह दर्शाता है कि नगर ने विकास योजना में निर्दिष्ट विकास की गति को प्राप्त नहीं किया है। निवेश क्षेत्र की विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए

10 हेक्टर प्रस्तावित थी। वर्तमान में विकास योजना 2011के निवेश क्षेत्र की जनसंख्या (2011) के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 8.03 हेक्टर है। विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन भूमि उपयोगवार सारणी क्रमांक 1-सा-1 में दिया गया है।

[kj xku ; kstuk fØ; kÙo; u dh fLFkfr ½2017½

1-सा-1

Ø- l a	Hkife mi ; kx	çLrkfor Hkife mi ; kx 2011		orëku Hkife mi ; kx 2017		mPpk; u (+)(-)	fØ; kÙo; u dk çfr'kr
		{ks= ½gDVj e½	çfr'kr	{ks= ½gDVj e½	çfr'kr		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	668	44	572.70	59.36	(-)95.30	85.73
2	वाणिज्यिक	90	6	90.31	9.36	(+)0.31	100.34
3	औद्योगिक	120	8	54.15	5.61	(-)65.85	45.13
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	145	10	107.15	11.11	(-)37.85	73.90
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं	29	2	11.02	1.14	(-)17.98	38.00
6	आमोद प्रमोद	148	10	17.05	1.77	(-)130.95	11.52
7	यातायात एवं परिवहन	300	20	112.48	11.66	(-)187.52	37.49
8	योग	1500	100	964.86	100.00	(-)535.14	64.32

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण

Vhi %

1- वर्ष 2017 के लिये 1,96,460 तथा वर्ष 2031 के 2,85,100 जनसंख्या अनुमानित है।

2- भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या में दिया गया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि खरगोन विकास योजना 2011 के भूमि उपयोग विकास संबंधी प्रस्तावों का लगभग 64.32 प्रतिशत क्रियान्वयन हो पाया है। वाणिज्यिक प्रयोजन में क्रियान्वयन पूर्ण रूप से हुआ है, परन्तु औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं तथा यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन नगण्य है। आमोद प्रमोद उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन अत्यन्त अल्प है, तथा अन्य भू-उपयोगों में हुआ क्रियान्वयन भी काफी कम है। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियांवयन स्थिति निम्नानुसार है।

1-3-1 वाणिज्यिक; %

विकास योजना 2011 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 668.00 हेक्टर भूमि को विकसित करना प्रस्तावित था जिसमें से 2017 तक आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान में 572.70 हेक्टर भूमि का विकास हुआ है जो कि प्रस्तावित आवासीय उपयोग का 85.73 प्रतिशत है। नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका क्रियान्वयन संस्था है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल ने भी खरगोन नगर में आवासीय योजनाओं का विकास किया है। कई निजी कालोनियों का भी विकास हुआ है।

1-3-2 वाणिज्यिक; %

खरगोन विकास योजना 2011 में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 90 हेक्टर भूमि प्रस्तावित थी जिसमें से वर्तमान में लगभग 90.31 हेक्टर भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ कार्यरत हैं जो इस उपयोग के अंतर्गत 100.34 प्रतिशत विकास दर्शाता है। वाणिज्यिक विकास के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों के दोनों ओर वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण हुआ है। नगर स्तर पर खरगोन में कृषि उपज मंडी का विकास वाणिज्यिक गतिविधियों के क्रियांवयन में सर्वप्रथम रूप से हो पाया है।


1-3-3 औद्योगिक; %

विकास योजना 2011 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 120 हेक्टर भूमि प्रस्तावित थी, इसमें से वर्तमान में 54.15 हेक्टर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का उपयोग हो रहा है जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 45.13 प्रतिशत है। विकास योजना 2011 में बिस्तान मार्ग पर वृत्तीय रोड से लगकर 120 हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित था जिसका विकास वर्तमान में नहीं हो सका है।

1-3-4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक; %

विकास योजना 2011 में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधायें उपयोग हेतु कुल 145 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से वर्तमान में 107.15 हेक्टर भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग विकसित है जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 73.90 प्रतिशत है।

1.1 KHARGONE खरगोन DEVELOPMENT PLAN विकास योजना



वर्तमान भूमि उपयोग
EXISTING LANDUSE

R - RESIDENTIAL		आवासीय - आर
C - COMMERCIAL		वाणिज्यिक - सी
C1 - GENERAL		सामान्य - सी1
C2 - SPECIALISED		विशेषकृत - सी2
C3 - MANDI		मंडी - सी3
I - INDUSTRIAL		औद्योगिक - आई
G - RECREATIONAL		आमोद प्रमोद - जी
G1 - PARK		उद्यान - जी1
G2 - GREEN BELT		वृक्षारोपण - जी2
G3 - STADIUM		स्टेडियम - जी3
G4 - MELA MAIDAN		मेला मैदान - जी4
P - PUBLIC AND SEMI - PUBLIC		सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक - पी
T - TRANSPORTAION		यातायात - टी
T1 - BUS STAND		बस स्थानक - टी1
T2 - ROADS		सड़क - टी2
T3 - TRANSPORT NAGAR		यातायात नगर - टी3
PUF - PUBLIC UTILITIES AND FACILITIES		सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ - पीयूएफ
W - WATER BODIES		जलाशय - डब्ल्यू
A - AGRICULTURE		कृषि - ए
BOUNDARY		सीमा
PLANNING AREA		नियोजन क्षेत्र
MUNICIPAL		नगर पालिका
VILLAGE		ग्राम

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश



0 0.25 0.5 1 2 3 Kilometers

1-3-5 | kołtfud mi ; kfxrk, a , oa | ok; 1 %

विकास योजना 2011 में सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवायें उपयोग हेतु 29 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से केवल 11.02 हेक्टर क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवायें गतिविधियां विकसित हुई हैं, जो कि संतोष जनक है। प्रतिशत के मान से यह 38 प्रतिशत है।

1-3-6 vkekn&çekn %

विकास योजना 2011 में आमोद-प्रमोद उपयोग हेतु 148.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से केवल 17.05 हेक्टर क्षेत्र में पार्क एवं आमोद-प्रमोद गतिविधियां विकसित हुईं जो कि नगण्य है प्रतिशत के मान से यह 11.52 प्रतिशत है।

1-3-7 ; krk; kr , oa i fjogu %

विकास योजना 2011 में इस भूमि उपयोग के अंतर्गत 300 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई थी। अद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार 112.48 हेक्टर क्षेत्र यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत विकसित है प्रतिशत के मान से यह विकास 37.49 प्रतिशत है।

1-3-8 vl ær , oa vdk; Źke Hkfe mi ; ksx %

विकास योजना 2011 में उल्लेखित असंगत भूमि उपयोगों को उनके स्थान से हटाकर उचित स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव किये गये थे लेकिन योजना क्रियावयन के अभाव में किसी भूमि उपयोग का स्थानांतरण के साथ पुनर्स्थापन नहीं हो सका है।

1-4 ; kstuk dh vo/kkj .kk %

खरगोन विकास योजना 2011 को म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत पुनर्विलोकन कर खरगोन विकास योजना 2031 तैयार की गयी है जनगणना 2011 के अनुसार निवेश क्षेत्र में जनसंख्या 1,67,680 है तथा वर्ष 2031 तक लगभग 2,85,100 जनसंख्या अनुमानित है।

नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि प्रमुख कार्य केन्द्र तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे। नगर के अन्य भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। नगर के पूर्व एवं उत्तर की ओर भू-भाग पर (खण्डवा मार्ग एवं बिस्टान मार्ग के आसपास) नगरीय विकास सर्वथा उचित होने के कारण सुनियोजित बसाहट के विकास हेतु अधिकाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक प्रस्ताव प्रस्तावित

किये गये हैं। इसी प्रकार डायवर्शन रोड पर रिक्त भूमि की उपलब्धता एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त मार्ग की वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्य की श्रृंखलाओं को विकसित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय एवं अंतरराज्यीय यातायात का नगर की आबादी वाले क्षेत्र में आवागमन बंद किया जा सकता है। नगर बसाहट के सभी क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के लिये वृत्तीय मार्ग का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग खरगोन द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार रखा गया है।

1-4-1 {ks=h; | UnHkZ es fu; kst u %

किसी भी नगर के विकास का उसके आसपास के क्षेत्र से घनिष्ट सम्बन्ध है। इस संदर्भ में क्षेत्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत मध्यप्रदेश को आठ प्रदेशों में विभक्त किया गया है। उक्त में खरगोन इंदौर कृषि उद्योग प्रदेश में आता है।

पश्चिम निमाड़ के रूप में जाना जाने वाला खरगोन जिला, मध्यप्रदेश का दक्षिण पश्चिमी छोर है। खरगोन नगर, जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। खरगोन जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है। जनसंख्या के लिहाज से यह जिला राज्य में 29वे स्थान पर आता है। खरगोन, मध्यप्रदेश की दक्षिण, पश्चिम सीमा पर बसा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 259 मीटर (928 फुट) है। जिले की उत्तर दिशा की ओर धार, इन्दौर एवं देवास जिले हैं। इसकी सीमा की दक्षिण दिशा की ओर महाराष्ट्र राज्य हैं तथा पूर्व में खण्डवा तथा बुरहानपुर जिले हैं। पश्चिम में बड़वानी जिला है तथा नर्मदा नदी खरगोन जिले से ही निकलती है।

खरगोन जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6478 वर्ग कि.मी. है। जिले का 26 प्रतिशत क्षेत्र वन तथा कुल भूमि का 63 प्रतिशत कृषि भूमि है। वन तथा कृषि भूमि दोनों, खरगोन जिले की कुल भूमि का 89 प्रतिशत है। वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने खरगोन को देश के सर्वाधिक पिछड़े 250 जिलों में से एक जिले के रूप में वर्गीकृत किया है। जिले में प्रमुखतः कपास, गेहूँ, सोयाबीन तथा मिर्च उगाई जाने वाली फसले हैं। जिले में लगे उद्योग कृषि एवं कपास आधारित उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग मुख्यतः अनाज एवं दालों की प्रोसेसिंग से संबंधित हैं। जिले की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि पर आधारित है। इस शहर के क्षेत्रीय सन्दर्भ तथा महत्व को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली में सुधार की जरूरत है।

1-5 Hkkfird Lo: i %

खरगोन नगर, कुन्दा नदी के किनारे लगभग समतल मैदान पर विकसित हुआ है। नगर के पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर लगभग समस्त क्षेत्र समतल है। नगर की पश्चिमी सीमा से लगकर कुन्दा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नगर के पश्चिम क्षेत्र में यद्यपि कुछ

उद्योगों का विकास हुआ है। परन्तु नगरीय विकास के दृष्टिकोण से कुन्दा नदी प्राकृतिक अवरोध के रूप में है। अतः नगर विकास की संभावनाएं उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व दिशा की ओर अधिक हैं।

1-5-1 çk–frd tyey fudkl %

नगर का प्राकृतिक ढाल सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर कुन्दा नदी की ओर है। नगर के कुछ पूर्वी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नगर की वर्तमान जल निकास ढलान के अनुरूप ही निर्मित है।

नगर के मध्य में तीन नाले बहते हैं जिनमें से दो कुन्दा नदी में मिलते हैं तथा तीसरा नाला न्यू-आफिसर्स कालोनी की ओर आगे प्रवाहित होता है। इन्हीं नालों से नगर का समस्त जल-मल प्रवाह, गटर एवं नालियों का गंदा पानी तथा वर्षा जल की निकासी होती है। नगर में वर्षा जल के निकासी की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण वर्षा ऋतु में नगर के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जो कि नगर के लिए एक बड़ी समस्या है जिसके स्थायी समाधान हेतु व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है।

1-6 tyok; q %

खरगोन नगर, भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां सामान्यतः शीत ऋतु-दिसम्बर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु - मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु - मध्य जून से सितम्बर तक तथा अक्टूबर एवं नवम्बर में शरद ऋतु रहती है। यहां मई माह में अधिकतम गर्मी तथा दिसम्बर में अधिकतम शीत रहती है। मई माह में औसत तापक्रम 41 सेंटीग्रेड तथा दिसम्बर माह में न्यूनतम तापक्रम 11 सेंटीग्रेड रहता है। कभी-कभी मई तथा जून माह में दक्षिण - पश्चिम मानसून के आने के पूर्व 47 सेंटीग्रेड तक तापक्रम बढ़ जाता है। देश के उत्तरी क्षेत्र का तापक्रम कम होने पर नगर के तापक्रम में भी गिरावट पाई जाती है जो कभी-कभी 4 से 5 सेंटीग्रेड के आस पास तक गिर जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः अप्रैल, मई एवं जून में अंधड़ आते हैं। कभी कभी फरवरी माह में ओला वृष्टि भी होती है, कोहरा भी शीत ऋतु के प्रारंभ तथा अंत में देखने में आया है। सामान्यतः वायुप्रवाह वेग 7-9 कि.मी. प्रति घंटा रहता है अधिकतम वेग मई तथा जून माह में तथा न्यूनतम वेग दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहता है। गर्म हवाओं का वेग ग्रीष्म के आगमन के साथ अधिक तीव्र हो जाता है, जो पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की ओर से रहता है। वर्षा ऋतु में वायु प्रवाह की दिशा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर से रहती है। शीत ऋतु में वायु प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रहती है।

1-7 , frgkfl d i "BHKfe %

ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर खरगोन नगर की स्थापना पांचवी शताब्दी के पूर्व हुई थी। अरब इतिहासकार एवं भूगोल वेत्ताओं ने अपनी पुस्तकों में खरगोन नगर का उल्लेख किया है जो कि पश्चिम निमाड़ क्षेत्र का प्रशासनिक केन्द्र रहा है।

खरगोन नगर सहित समस्त पश्चिम निमाड़ क्षेत्र पर प्रथम शताब्दी के द्वितीय चरण में सात वाहन साम्राज्य के सम्राट सतकरनी प्रथम का शासन था। प्रथम शताब्दी के अंत में महीन साका क्षत्रप नाहापाना द्वारा सम्राट सतकरनी प्रथम को पराजित कर पश्चिम निमाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कुछ वर्षों पश्चात पुनः सतकरनी सम्राट ने गौतमीपुत्र सतकरनी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को क्षत्रप नाहापाना से छीनकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में कर यमकावंश के सम्राट रूहमन ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। चौथी शताब्दी के अंत में यह क्षेत्र अभिरा साम्राज्य के अधीन हो गया था। इसके पश्चात यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का अंग हो गया तथा पांचवी शताब्दी के चतुर्थांश में यह क्षेत्र स्वतंत्र प्रमुख महाराजा सुबंधु के अधीन रहा। पांचवी शताब्दी के द्वितीय भाग में यह क्षेत्र कलचुरी साम्राज्य के अधीन हो गया। सन् 550 से 600 ई. तक कलचुरी वंश राजाओं द्वारा यहां शासन किया गया। कलचुरी शासन के पश्चात निमाड़ क्षेत्र चालुक्य वंश के राजाओं के आधिपत्य में आया।

आठवीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र को राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंग बना लिया था। सन् 972 ई. तक यहां राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा शासन किया गया। इसके पश्चात् सन् 1205 तक यह परमार वंश के राजाओं के अधीन रहा। परमार वंश के अवसान के पश्चात् सन् 1296 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहां पर अपना राज्य स्थापित किया। 15वीं शताब्दी के दौरान माण्डु के मुस्लिम सम्राट ने निमाड़ क्षेत्र को अपने अधीन कर सन् 1531 तक यहां पर अपना शासन किया। सन् 1531 से 1562 तक गुजरात के सम्राट बहादुरशाह ने इसे अपनी अधीन रखा था तथा 1562 में मुगल सम्राट अकबर ने इस क्षेत्र को मालवा प्रान्त में शामिल कर लिया।

खरगोन नगर का महत्व मुगलकाल में अधिक बढ़ा, जब इसे बीजागढ़ सरकार के अधीन महल का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया। इसके अतिरिक्त यहां पर नगर की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण भी किया गया था तथा एक राजमहल भी बनाया गया था। औरंगजेब के समय निमाड़ का अधिकतम भाग औरंगाबाद प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था। औरंगजेब के शासन काल में ही बीजागढ़ एवं जलालाबाद सरकार का मुख्यालय खरगोन में स्थानांतरित किया गया था। सन् 1740 के उपरांत यहां प्रशासनिक नियंत्रण मराठों के अधीन आ गया। सन् 1778 में निमाड़ प्रान्त पेशवा के अधीन रहा। इसी वर्ष में पेशवा द्वारा अपने विश्वसनीय जनरल होल्कर को खरगोन क्षेत्र जागीर में दे दिया था। सन् 1864 से 1868 तक निमाड़ क्षेत्र सेन्ट्रल प्राविन्स का अंग रहा। सन् 1868 के पश्चात निमाड़ क्षेत्र पुनः होल्कर रियासत में सम्मिलित कर लिया गया था। सन् 1948 तक यह क्षेत्र होल्कर रियासत के आधिपत्य में रहा।

इसके पश्चात् भारत की सभी रियासतों की तरह यूनियन ऑफ इंडिया में विलय कर नवनिर्मित राज्य मध्य भारत का अंग बनाया गया तथा वर्तमान में यह स्वतंत्र भारत का अंग होकर मध्यप्रदेश के अंग के रूप में शामिल है।

‘निमाड़’ निमड़या शब्द से लिया गया है जो दर्शाता है कि यह भूमि आर्यों एवं गैर-आर्यों, दोनों की थी। तथापि, एक अन्य मिथक के अनुसार ‘निमाड़’ शब्द यहाँ पर नीम के अधिक वृक्ष होने के कारण है।

1-8 fodkl dē vk/kkj Hkar fl) kar %

खरगोन विकास योजना-2031 का मुख्य लक्ष्य खरगोन विकास योजना -2011 में दर्शायी गई वृद्धि एवं भूमि उपयोग विनियम नीति को जारी रखते हुए खरगोन निवेश क्षेत्र के नागरिकों की वर्तमान में जीवन गुणवत्ता में सुधार लाते हुए एवं इसकी आगामी जरूरतों को पूरा करते हुए अगले 14 वर्ष के लिये योजनाबद्ध वृद्धि को सुनिश्चित करना है।

[kj xku fodkl ; kst uk&2031 dē dN l kekl; -r mīś ; bl çdkj gñ %

1. खरगोन के सतत तथा नियोजित विकास को प्रौन्नत करना, ताकि वर्तमान एवं भविष्य में इसके नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में कार्यात्मकता को सुसाध्य बनाया जा सके।
2. 2031 तक सभी वर्गों की आवास की जरूरतों को पूरा करना।
3. नगर में संतुलित एवं सतत आर्थिक विकास तथा रोजगार को प्रौन्नत करना, यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो।
4. एक ऐसी एकीकृत परिवहन कार्यनीति विकसित करना जो भूमि उपयोग उद्देश्यों से जुड़ी हो, जो कि समतुल्य तथा सतत हो।
5. संतुलित एवं समतुल्य अधोसंरचना विकास जो सभी नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सके।
6. स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की पहुँच की समानता को सुसाध्य बनाना।

खरगोन का पूर्व विकास योजना-2011 की अवधारणा के अनुसार विकास नहीं हो पाया है, इसलिये पूर्व प्रस्तावों के असंगत भू उपयोगों का परीक्षण कर वर्तमान आवश्यकता एवं भविष्य की परिकल्पनाओं अनुसार भूमि का औचित्यपूर्ण वर्गीकरण एवं परिवर्तन कर सुधारा जाना अतिआवश्यक है। इस नगर विकास योजना की अवधारणा के कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं।

uxj dk cg&vk; keh <kps dē : i es fodkl % खरगोन नगर का विकास बहु-आयामी पहलूओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, वाणिज्यिक और सेवा केंद्र आदि को ध्यान में रख

के किया जाना प्रस्तावित है। विकास योजना-2031 में एक विकेन्द्रीकृत तरीके से नगर को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कार्य केन्द्रों, सेवा सुविधाओं, और आवासीय क्षेत्रों में तालमेल बना रहे।

in ku Øe es uxjh; fodkl % नगर की संरचना 5 निवेश इकाइयों में बांटी गयी है जिनका विकास जनसंख्या आधारित पदानुक्रम ढांचे से होगा और जिनमें सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य खंडीय और उपखंडीय आवश्यकताएं मानकों के अनुसार प्रावधानित होंगी। निवेश क्षेत्र में योजनाबद्ध विस्तार केवल गैर-योजना विकास पर ही नियंत्रण नहीं रखेगा बल्कि विद्यमान नगर क्षेत्रों से घने विकास के दबाव को भी कम करेगा।

if jogu dC l kFk&l kFk 'kgj dk fodkl % निवेश क्षेत्र में योजनाबद्ध सड़क संरचना इस नगर के क्षेत्रीय यातायात की प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ योजनाबद्ध विकास को समर्थ बनाएगा। प्रस्तावित परिवहन बायपास एवं रिंग रोड से शहरी स्वरूप को निर्धारित करेंगे।

वर्तमान में मुख्य मार्गों के शहर में मध्य से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित रिंग रोड के द्वारा आपस में जोड़ा गया है ताकि ईंधन व समय आदि की बचत हो सके।

{ks=kRed vkfFKd of) dkjd : खरगोन के विकास के लिए रोजगार उत्पत्ति अत्याधिक महत्वपूर्ण है। छोटे पैमाने के उद्योग तथा वाणिज्य उपयोग की वृद्धि के लिए विकास योजना में प्रावधान किया गया है। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर की सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर में भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योग हेतु उचित प्रावधान किया गया है।

xnh cLrh {ks=ka dk iufodkl % प्रथम चरण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले गन्दी बस्ती क्षेत्र सुधार का कार्यक्रम चरणबद्ध हो। ध्यान दी जाने वाली तत्काल आवश्यकताओं के क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

1. विकास योजना में सूचीबद्ध किए गए गन्दी बस्ती क्षेत्र।
2. कुन्दा नदी तट के समीप बसी गन्दी बस्ती क्षेत्र।

Hku&ty Lrj l d/kL {ks= % नगर की जल समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल स्तर संवर्धन क्षेत्र की योजना बनाया जाना प्रस्तावित की गई है, इसके अतिरिक्त नगर के पर्यावरण उन्नयन हेतु कुन्दा नदी का जल तटीय विकास भी प्रस्तावित किया गया है।

fodkl i fj-' ; rFkk çLrkfor uxjh; v/kksd j'puk

नगर में भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों के अनुरूप भूमि उपयोग का निर्धारण होता है जिसका नगर की गतिविधियों से सम्पर्क रहता है। भूमि उपयोग के आपसी सह-संबंध एवं उपयोगिता का अध्ययन आवश्यक है ताकि असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग का विश्लेषण किया जा सके, तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भूमि का उपयोगी नियोजन किया जा सके।

खरगोन नगर इस जनजातीय जिले का सबसे महत्वपूर्ण शहरी केन्द्र है। यह नगर, जिले का सबसे बड़ा नगरीय केन्द्र है, साथ ही प्रशासनिक, व्यापार तथा सेवा केन्द्र भी है।

2-1 {ks=h; vkj mi {ks=h; l anHkZ %

खरगोन, राज मार्ग क्रमांक-26 (जुलवानिया-खण्डवा रोड) तथा राज मार्ग क्रमांक-1 (कसरावाद-बिस्तान रोड) के संगम पर बसा है। खरगोन नगर, सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। खरगोन, क्षेत्रीय दृष्टि से इन्दौर से राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (आगरा-मुम्बई रोड) के द्वारा जुलवानिया एवं कसरावाद से जुड़ा हुआ है। यह बड़वानी से 90 कि.मी. खण्डवा से 80 कि.मी. तथा इन्दौर से 140 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। खण्डवा इसका सबसे नजदीकी ब्राड गेज रेल मार्ग का स्टेशन है तथा इन्दौर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। राज्य की राजधानी भोपाल, खरगोन से लगभग 315 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यह नगर रेलमार्ग से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। रेलमार्ग द्वारा संपर्क नहीं होने से नगर के समुचित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

2-2 0; ol kf; d l j'puk :

नगर का स्वरूप निश्चित करने में उसके आर्थिक तथा सामाजिक पहलू का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे नागरिकों के रोजगार तथा जीवन पद्धति का पता चलता है।

• 0; ol k; l j'puk

खरगोन नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों का 87.27 प्रतिशत अन्य गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, 7.38 प्रतिशत भाग खेतीहर श्रमिकों के रूप में, 2.68 प्रतिशत भाग घरेलू उद्योग में श्रमिकों के रूप में तथा शेष 2.67 प्रतिशत भाग खेतीहर किसानों का है। 2001 की जनगणना में भी यही रुझान था। अनुगामी सारणी यह दर्शाती है कि नगर में मुख्य कामगारों का समग्र रूप से एक बड़ा भाग शामिल है तथा खेतीहर कृषि मजदूर जैसी श्रेणियों में कामगार नगर में बहुत कम हैं।

दृष्टिकोण : 2001 र 2011 के बीच जनगणना

2-सा-1

वर्ग	2001	2001 प्रति व्यक्ति	2011	2011 प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5
खेतीहर	632	2.7	992	2.67
कृषि मजदूर	1303	5.5	2743	7.38
घरेलू उद्योग	578	2.4	996	2.68
अन्य	21297	89.4	32432	87.27
कुल	23810	100	37163	100

संकेत : भारत की जनगणना 2011

• 2001 र 2011 के बीच जनगणना :

जनगणना 2011 के अनुसार खरगोन नगर पालिका क्षेत्र की कार्य सहभागिता दर 32% है, अर्थात् 1 कामगार सदस्य पर समाज के 2 सदस्य निर्भर करते हैं। नगर की कार्य भागीदारी दर राज्य के 43.50 प्रतिशत के औसतन दर और जिले के 47.70 प्रतिशत के कार्य भागीदारी दर से कम है।


2-3 क्षेत्रों का विकास :

नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, भोपाल की अधिसूचना क्र.2479/1-66-तैंतीस/73, दिनांक 10 अक्टूबर, 1973 द्वारा खरगोन निवेश क्षेत्र का पूर्व में गठन किया गया था। जिसमें खरगोन निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल उस समय 26.93 वर्ग किलोमीटर था।


राज्य शासन द्वारा खरगोन के निरंतर वृद्धि तथा विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा 2011 की योजना अवधि के बाद भी इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र को म.प्र. नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (2) के अंतर्गत, दिनांक 01.11.2014 की अधिसूचना के द्वारा पुर्नगठित नगरपालिका क्षेत्र के अलावा 41 ग्राम सम्मिलित करते हुए खरगोन निवेश क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार किया गया है। खरगोन विकास

खरगोन

2.1 निवेश क्षेत्र



- निवेश क्षेत्र सीमा
- नगर पालिका सीमा
- ग्राम सीमा
- जलाशय
- क्षेत्रीय मार्ग
- नगरीय मार्ग



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

योजना-2031 के वृद्धित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रकाशित कर अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 04.03.2015 को सम्यक रूप से अंगीकृत किया गया है। इससे पूर्व खरगोन विकास योजना-2011 के अंतर्गत खरगोन निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को दिनांक 1.04.1977 में सम्यक रूप से अंगीकृत किया गया था।

खरगोन निवेश क्षेत्र की नई सीमाएं इस प्रकार हैं—

[kj xku fuo's k {ks= dh l d kksf/kr l hek, a

2-सा-2

mUkj ea	रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, बेडियाव, मेनगांव, पिपराटा, भाडली, मांगरूल खुर्द, बीड बुजुर्ग, बिजलगांवखुर्द ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
nf{k.k ea	सिनखेड़ा, आदमपुरा, चौड़ी, भसनेर, हीरापुर, जामला, डाबरिया, राजपुरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
i wZ ea	राजपुरा, मेहरजा, बड़गांव, मागरिया, खेड़ी खानपुरा, सोनीपुरा, बिजलगांवखुर्द, बीडबुजुर्ग, नवाबपुरा, बिजलगांव बुजुर्ग ग्राम की पूर्वी सीमा तक।
i f' pe ea	भसनेर, चौड़ी, सिनखेड़ा, मनावर, रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, मेनगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का विवरण

[kj xku fodkl ; kst uk&2031 dh fuo's k {ks= dh l hek, a

2-सा-3

Øe l a	fodkl ; kst uk	Øe l a	xke dk uke	Diy {ks=Qy %gDVj ea	tul a ; k&2011
1	2	3	4	5	6
1.	खरगोन विकास योजना-2031 के वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाओं में सम्मिलित ग्राम	1	सिरपुर	61.774	84
		2	बिरोठी	481.577	762
		3	रणगांव	996.288	1667
		4	सिनखेड़ा	659.525	2367
		5	मांगरूल बुजुर्ग	628.191	1830
		6	भाडली	459.926	1166
		7	फाजिलपुरा	191.777	310

		8	बरदीया	217.106	748
		9	छारापुर	431.914	337
		10	खेड़ी बुजुर्ग	291.900	584
		11	म्नावर	323.341	143
		12	बहादरपुरा	145.939	25
		13	जमशेदपुरा	372.325	62
		14	आदमपुरा	404.174	319
		15	मोमिनपुरा	406.871	363
		16	चौड़ी	201.031	7
		17	मुकलीसपुरा	113.936	253
		18	भसनेर	337.902	1671
		19	बनिहार(वणार)	274.38	02
		20	खतवास	391.593	107
		21	महुकुण्डिया	116.541	24
		22	ळीरापुर	395.804	17
		23	जामला	301.717	10
		24	बलवाड़ी	500.888	2530
		25	तुकलावाद	90.577	0
		26	बेलमार	204.881	18
		27	नवाबपुरा	57.015	245
		28	बिजलगांव बुजुर्ग	145.194	0
		29	सोनीपुरा	183.070	1299
		30	पिपराटा	593.938	1636
		31	मेनगांव	499.870	2128
		32	सांगवी	302.073	5383
		33	मागरिया	574.921	1556
		34	खेड़ीखानपुरा	974.265	844
		35	बड़गांव	761.630	4365
		36	डाबरिया	383.489	900
		37	राजपुरा	434.585	1570
		38	मेहरजा	1001.934	1085
		39	मांगरूल खुर्द	332.343	1212

		40	बिजलगांव खुद	104.052	646
		41	बीड बुजुर्ग	394.545	1295
2.	खरगोन विकास योजना 2011 में सम्मिलित ग्राम	1	खरगोन	998.972	106454
		2	दानापुра	68.823	117
		3	जैतपुरा	299.785	11835
		4	काजलपुरा	237.569	568
		5	आरामपुरा	175.750	1212
		6	रहीमपुरा	148.637	3399
		7	सुखपुरी	167.365	1226
		8	दामखेड़ा	276.996	1807
		9	शाहपुरा	112.382	28
		10	गोंगावा	144.315	N.A.
		11	औरंगपुरा	91.984	N.A.
		12	गोपालपुरा	237.987	1464
			dy	18705.367	167680

L="r % भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका खरगोन मध्यप्रदेश

Vhi % N.A. (उक्त जानकारी भारत की जनगणना 2011 में उपलब्ध नहीं)

2-4 uxj dk tukfddh foj.k ¼tul a; k ifjor¼ %

खरगोन नगर के जनांकिकी विवरण तथा जनसंख्या वृद्धि रुझान का अध्ययन भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा को समझने के लिए किया गया है।

• or¼ku tul a; k , oa of)

जनगणना- 2011 के वर्गीकरण अनुसार खरगोन विकास योजना 2031 के निवेश क्षेत्र की कुल आबादी 167680 व्यक्ति है। भारत की जनगणना से प्राप्त जनसंख्या आँकड़ों के अनुसार नगर में 1951-61 के दशक में जनसंख्या वृद्धि देखी गई। आगामी तीन दशकों में अर्थात् 1961-1991 के दौरान जनसंख्या की विकास दर में कमी का चलन देखने को मिला है। नगरपालिका क्षेत्र के पुनर्गठन की वजह से 1991-2001 के दशक में जनसंख्या विस्तार की दर पुनः क्षितिज पर पहुंच गई तथा 2001-2011 के दशकीय विकास दर 37.73 प्रतिशत देखी गई है।

तुलनात्मक विकास दर (CAGR)

2-सा-4

वर्ष	जनसंख्या	विकास दर (CAGR)	विकास दर (CAGR)
1	2	3	4
1951	20,762		
1961	30,652	47.64	
1971	41,316	34.79	
1981	52,749	27.67	
1991	66,786	26.61	
2001	93,015	39.27	
2011	128,110	37.73	
	औसत सी.ए.जी.आर CAGR	50 वर्ष	3.71
	औसत सी.ए.जी.आर CAGR	30 वर्ष	3.84
	औसत सी.ए.जी.आर CAGR	20 वर्ष	4.54

संकेत % भारत की जनगणना 2011

यदि 1961 से 2011 के बीच चक्र वृद्धि औसत विकास दर सी.ए.जी.आर. का अध्ययन करें तो यह देखने में आता है कि 50 वर्षों का सी.ए.जी.आर. 3.71 है जबकि पिछले 30 वर्षों का सी.ए.जी. आर. 3.84 है एवं 20 वर्षों का सी.ए.जी.आर. 4.54 है।

2-5 ; कस्तुरी दक्षिण %

नगरीय विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर, भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है।

नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2031 तक कालावधि नियत की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते क्योंकि नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी, विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

2-5-1 [k] xku fodkl ; kst uk 2031 & y{; rFkk míś ; %

खरगोन विकास योजना 2031 का मुख्य लक्ष्य खरगोन निवेश क्षेत्र के नागरिकों की वर्तमान में एवं भविष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाते हुए इसकी आगामी जरूरतों को पूरा करते हुए सुनिश्चित करना है।

[k] xku fodkl ; kst uk & 2031 dt dN l kekl; -r míś ; bl çdkj g%

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग।
2. समुचित तथा उपयुक्त आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव।
3. कुशल परिवहन प्रणाली का विकास जिसमें यात्री एवं माल यातायात सुरक्षित एवं द्रुतगति से हो सके।
4. नगरीय गतिविधियों से सामंजस्य पूर्ण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु समुचित भूमि का प्रावधान।
5. मूलभूत सेवा सुविधाओं का समुचित प्रावधान।
6. प्राकृतिक भूदृश्य पर्यावरण का संरक्षण।
7. कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीयकरण एवं आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य केन्द्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना।
8. उचित स्थानों पर विशेषकर मध्यवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त वाहन विराम स्थलों हेतु प्रावधान।
9. गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनर्स्थापन।

2-6 uxj dç fy, e[; dk; bdyki %

खरगोन नगर के स्वरूप को वृद्धि प्रदान करने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कार्यात्मक क्षेत्र जिनको प्रौन्नत किया जा सकता है उनकी पहचान की जाए। खरगोन के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का विश्लेषण एवं नगर में संभावनाओं की पहचान के लिए नगर के कार्यकलापों के अध्ययन की आवश्यकता है। खरगोन के वर्तमान

कार्यकलाप एवं क्षेत्रीय महत्व आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर को निम्नांकित कार्यकलापों के अनुरूप विकसित किया जाना प्रस्तावित है :

- खरगोन एक क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- खरगोन एक लघु, मध्यम तथा कृषि एवं वनोपज आधारित औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- खरगोन एक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना।

2-7 fu; kstu vo/kkj .kk %

नगर की वर्तमान संरचना को द्रष्टिगत रखते हुए विचार किया जाये तो यह देखने में आता है कि नगर की संरचना कुन्दा नदी के कारण अत्याधिक प्रभावित हुई है। उक्त नगर की बसाहट प्राचीनतम होने के कारण नगर में उचित तथा सुनियोजित खुले स्थानों का अभाव है। मुख्य रूप से बिस्तान मार्ग, सनावद मार्ग पर आबादी स्थित है। जिला स्तर के कार्यालय सनावद मार्ग एवं डायवर्शन मार्ग पर स्थित है।


नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि प्रमुख कार्य केन्द्र तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे। नगर के भिन्न – भिन्न कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। नगर के पूर्व एवं उत्तर के भू-भाग पर (खण्डवा मार्ग एवं बिस्तान मार्ग के आसपास) नगरीय विकास सर्वथा उचित होने के कारण सुनियोजित बसाहट के विकास हेतु अधिकाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं। विभिन्न क्षेत्रीय कार्य की श्रृंखलाओं को विकसित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय एवं अन्तरराज्यीय यातायात का नगर की आबादी वाले क्षेत्र में आवागमन हेतु बंद किया जा सकता है।

2-8 çLrkfor Hkfe mi ; ksx , oa Hk&vko&u ¼2031½ %

विकास योजना 2031 में विकास योजना 2011 की मूल अवधारणा, वर्तमान विकसित क्षेत्र की भावी विकास की प्रवृत्ति एवं प्रकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भावी जनसंख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से नियोजन प्रस्ताव भू-उपयोग आधार पर दर्शित किये गये हैं। विकास योजना मे वर्ष 2031 की अनुमानित 2.85 लाख जनसंख्या हेतु 17.30 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भूमि नगरीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान भूमि उपयोग तथा विकास योजना मे प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी निम्नलिखित तालिका मे दी गयी है।

2.2 KHARGONE
DEVELOPMENT PLAN
2031 (DRAFT)

खरगोन
विकास योजना
2031 (प्रारूप)



वर्तमान प्रस्तावित
EXISTING PROPOSED

R - RESIDENTIAL			आवासीय - आर
M - MIXED			मिश्रित - एम
C - COMMERCIAL			वाणिज्यिक - सी
C1 - GENERAL			सामान्य - सी1
C2 - SPECIALISED			विशेषीकृत - सी2
C3 - MANDI			मंडी - सी3
C4 - TRANSPORT NAGAR			यातायात नगर - सी4
I - INDUSTRIAL			औद्योगिक - आई
G - RECREATIONAL			आमोद प्रमोद - जी
G1 - PARK			उद्यान - जी1
G2 - GREEN BELT			वृक्षारोपण - जी2
G3 - SOCIAL FORESTRY / URBAN AGRICULTURE			सामाजिक वानिकी / शहरी कृषि - जी3
G4 - STADIUM			स्टेडियम - जी4
G5 - MELA MAIDAN			मेला मैदान - जी5
P - PUBLIC AND SEMI - PUBLIC			सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक - पी
T - TRANSPORTATION			यातायात - टी
T1 - BUS STAND			बस स्थानक - टी1
T2 - ROADS			सड़क - टी2
PUF - PUBLIC UTILITIES AND FACILITIES			सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ - पीयूएफ
W - WATER BODIES			जलाशय - डब्ल्यू
A - AGRICULTURE			कृषि - ए
BOUNDARY			सीमा
PLANNING AREA			नियोजन क्षेत्र
MUNICIPAL			नगर पालिका
VILLAGE			ग्राम

çLrkfor Hkfe mi ; ksx

2-सा-5

Ø	Hkfe mi ; ksx fooj .k	1- orëku			çLrkfor&2031		
		{ks=Qy	çfr& 'kr	Hkfe mi ; ksx nj	{ks=Qy	çfr'kr	Hkfe mi ; ksx nj
		%gs e½			%gs e½		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	984.56	57.74	5.00	1847.36	37.45	6.48
2	मिश्रित				1340.92	27.18	4.7
3	वाणिज्यिक	212.82	12.48	1.10	280.72	5.69	0.98
4	औद्योगिक	97.89	5.74	0.50	221.76	4.50	0.78
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	331.41	19.43	1.70	393.84	7.98	1.38
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं	40.86	2.40	0.2	64.96	1.32	0.23
7	आमोद-प्रमोद	16.91	0.99	0.10	287.30	5.82	1.01
8	यातायात एवं परिवहन	20.81	1.22	0.1	496.19	10.06	1.74
	योग	1705.25	100.00	8.7	4933.05	100.00	17.30

Vhi %

- वर्ष 2017 के लिये 1,96,460 तथा वर्ष 2031 के 2,85,100 जनसंख्या अनुमानित है।
- भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या मे दिया गया है।

2-8-1 vkokl %

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मानव बसाहट में आवास निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है, जो जनसंख्या वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर के साथ-साथ गतिमान रहती है। आवासीय उपयोग नगर की संरचना स्वरूप, सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। नगर में विद्यमान आवासीय व्यवस्था के गुणात्मक एवं संख्यात्मक अध्ययन एवं नगर की जनसंख्या के आधार पर आवास गृहों की कमी, मकानों की दशा, आवासीय घनत्व तथा आवासीय क्षेत्र की वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नगर में आवास गृहों का निर्माण राज्य सरकार, स्थानीय निकाय तथा विभिन्न संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

vkokl h; Hkfe mi ; ksx %

वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 6.48 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या की औसत दर से 1847.36 हेक्टर भूमि आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गयी है, जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 37.45 प्रतिशत है।

vkokl h; çk: i %

खरगोन एक मध्यम आकार के नगर की छवि सामने रखता है जो कि परिवर्तन से गुजर रहा है। इसमें यहाँ परंपरागत और आधुनिक छवि उजागर होती है। खरगोन में चार भिन्न प्रकार के आवासीय प्रारूप हैं।

- भीतरी नगर के आवास
- ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत बसाव
- शहरी निजी आवासीय कालोनियाँ
- सरकारी कालोनियाँ

xUnh cLrh %

गन्दी बस्ती शहरीकरण प्रक्रिया का एकीकृत भाग हैं। गन्दी बस्ती नगर के ऐसे क्षेत्र को दर्शाते है जहाँ मानव बसाहट के लिए आवश्यक मूलभूत सेवा सुविधाओं का अभाव होने के साथ साथ अनुपयुक्त पर्यावरण और मकानों की दयनीय दशा होती है। गन्दी बस्ती शब्द का प्रयोग गरीब मानव जीवन स्थितियों की व्यापक स्तर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप, अधिकांश भारतीय शहरों में शहरी भू-स्थलाकृति का एक अभिन्न अंग ये गन्दी बस्ती बन चुके हैं और खरगोन कोई अपवाद नहीं है। नगर पालिका ने इस नगर में निम्नलिखित स्लम क्षेत्रों की पहचान की है।

[kj xku uxj i kfydk dç fj d, MZ dç vuç kj xnh cLrh bykdka dh l pph

2-सा-6

Øe l a	xnh cLrh bykdç dk uke	okMZ ua
1	2	3
1	रंगर्ज बाडी	1
2	पठान बाडी	2
3	पठान बाडी	3
4	इस्लामपुरा	4
5	सनावद बाडी	5

6	खसखस बाडी	7
7	खण्डवा रोड	12
8	बिस्तान रोड	13
9	पठार दलाल	15
10	कालाली मोहल्लान	19
11	गादरिया गली	20
12	अल्लाहवल्लाह मार्ग	21
13	दशहरा मैदान	23
14	गोशाला मार्ग	24
15	डांगी माढी	25
16	मोती माता मार्ग	27
17	मोती माता पथ	28
18	मेतीपुरा	29
19	इंदिरा नगर	30
20	संजय नगर	31
21	औरंगपुरा जुलवानिया रोड	32
22	औरंगपुरा	33
23	सुखपुरी	33

1 kr % खरगोन नगर पालिका

vkokl dh deh dk vupku %

जनगणना-2011 के अनुसार खरगोन (नगरपालिका+उदवृद्धि) में 21789 मकान है और ये आंकड़ा आवासीय तथा आवासीय-सह-अन्य उपयोग के रूप में गणना किए गए मकानों का योग है। चूंकि खरगोन के नागरिकों के लिए समुचित मकान व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस विकास योजना का उद्देश्य है, अतः मकानों की कमी का मूल्यांकन करते समय वर्तमान मकानों के गुणात्मक पहलुओं पर भी उचित ध्यान दिया गया है। मकानों के ढांचे की हालत, छत में उपयोग की गई सामग्री तथा गंदी बस्ती इलाकों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात, मकानों की कमी का मूल्यांकन करने के लिए मापदण्डों/सूचक के रूप में लिया गया है।

गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्तता का मूल्यांकन दो मापदण्डों (क) छत को बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्री तथा (ख) आवासीय एवं आवासीय-सह-अन्य (उपयोग के मकानों की स्थिति/हालात के आधार पर किया गया है। छत की सामग्री मापदण्ड के अंतर्गत उन मकानों

का पुनःनिर्माण के लिए गणना की गई है जिन मकानों में घास/तिनका/बांस/लकड़ी/मिट्टी तथा प्लास्टिक/पॉलिथिन इत्यादि का इस्तेमाल छत की सामग्री के लिए किया गया है। इसी प्रकार मकानों के हालात को दर्शाने के लिए जीर्ण मकानों को अपर्याप्त माना गया है। छत की सामग्री तथा खस्ताहाल/जीर्ण मकानों की संख्या क्रमशः 1057 तथा 647 है।

मकानों की कमी शहरों में गंदी बस्ती इलाकों के मौजूदगी का मुख्य कारण है। खरगोन नगर के गंदी बस्ती इलाकों में मकानों के हालात के मूल्यांकन के आधार पर 50 प्रतिशत मकानों को पुर्ननिर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार खरगोन नगर में 9344 परिवार गन्दी बस्ती में निवास करते हैं और 4672 गन्दी बस्ती मकानों के पुनर्निर्माण की जरूरत है।

vupkfur vkokl vko' ; drk %

आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों आदि पर आधारित होता है जनगणना 2011 के अनुसार खरगोन नगर पालिका तथा उदवृद्धि क्षेत्र में औसत परिवार का आकार 5.2 व्यक्ति है, वर्ष 2021 में औसत परिवार आकार 4.9 तथा वर्ष 2031 में औसत परिवार का आकार 4.5 मानते हुए आवास आवश्यकता का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2031 में नगर की अनुमानित जनसंख्या 2,85,100 के मान से परिवार आकार 4.5 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता का अनुमान लगाते समय प्रतिवर्ष एक प्रतिशत मकान जो आवासीय दृष्टि से अनुपयोगी होंगे उनके प्रतिस्थापन का प्रावधान भी किया गया है। अनुमानित परिवार एवं आवासीय आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

vupkfur i fjokj , oa vkokl vko' ; drk 2031

2-सा-7

Ø-	fooj .k	o"kl		
		2011	2021	2031
1	2	3	4	5
1	जनसंख्या (लाखों में)	1.67	2.185	2.851
2	अतिरिक्त जनसंख्या (लाखों में)	—	0.515	0.666
3	औसत परिवार आकार	5.2	4.9	4.5
4	अतिरिक्त परिवार	.	10510	14800

5	वर्ष 2021 में 85 प्रतिशत एवं 2031 में 90 प्रतिशत दर से परिवारों हेतु आवास इकाइयों की आवश्यकता	.	8934	13320
6	2011 की कमी सहित आवास इकाइयों की आवश्यकता	6491	15425	28745
7	प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की दर से आवासों का पुनर्निर्माण	—	154	287
	योग (क्र.-6, क्र.-7)	(+) 6491	15579	29032

d. foHkku oxkã grq vkokl h; bdkb; kã dh vko' ; drk%

उपरोक्त भावी आवासीय इकाइयों की आवश्यकताओं का अनुमान नगर के सभी आर्थिक वर्गों हेतु किया गया है। अतः समाज के विभिन्न वर्ग जैसे उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास गृहों की आवश्यकता को अनुमानित किया जाना आवश्यक है जो नगर की वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है।

vk; l eig vuq kj vkokl bdkb; kã dh vko' ; drk

2-सा-8

Ø-	vk; l eig	jgokl h vko' ; drk	
		çfr'kr	l a[; k
1	2	3	4
1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	42	12194
2	निम्न आय वर्ग	30	8710
3	मध्यम आय वर्ग	20	5806
4	उच्च आय वर्ग	8	2322
	; ksx	100	29032

नगर में संयुक्त परिवार ढांचा विद्यमान है तथा वर्तमान नगर क्षेत्र का घनत्व बहुत कम है। इसलिए घनत्व को और बढ़ाने की संभावनाएं हैं। विकास योजना का लक्ष्य नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की क्रय क्षमता के अनुरूप सभी के लिये आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराना

है। इस प्रकार के प्रावधान आश्रय गृह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगर वासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा जीवन मूल्यों के उत्थान में सहायक होंगे। यह सशक्त सामुदायिक विकास करने का अवसर प्रदान करता है तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का वाहक बनता है।

नगरीय संरचना के संदर्भ में आवास का विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थलीय संबंध है। किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिये कार्यकेन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न सुविधाओं की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए रिहायशी क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगर विकास योजना की कुंजी है।

प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में रहवास आवश्यकताओं की पूर्ति अतिरिक्त आवास से प्रासंगिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनमें निम्न सम्मिलित हैं:-

- पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र एवं आसान शर्तों पर आवंटन का प्रावधान।
- पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य व्यवस्था का प्रावधान।
- सामाजिक सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद आदि का प्रावधान।
- सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
- यातायात के साधनों एवं सुविधाओं, जो कार्यकेन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से संबद्ध हो, की उपलब्धता।

2-8-2 fefJr {ks= %

छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों में आवासीय तथा वाणिज्यिक भू उपयोग अलग अलग नहीं पाए जाते हैं बल्कि आवासीय सह वाणिज्यिक भू उपयोग क्षेत्र मिश्रित रूप से पाए जाते हैं इसलिए खरगोन विकास योजना में मिश्रित भू उपयोग का भी प्रावधान किया गया है। मिश्रित उपयोग क्षेत्र जुलवानिया मार्ग, कसरावद मार्ग, खण्डवा मार्ग, सनावद मार्ग, बिस्टान मार्ग, प्रस्तावित रिंग रोड-1, रिंग रोड-2, रिंग रोड-3, रिंग रोड-4, तथा रिंग रोड-5 मार्ग के दोनों तरफ 200 मीटर की परिधि में प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 4.70 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या की औसत दर से 1340.92 हेक्टर भूमि मिश्रित उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गयी है, जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 27.18 प्रतिशत है।

2-8-3 okf.kfT; d {ks= %

व्यापार एवं वाणिज्य की प्रकृति एवं मात्रा किसी भी नगर की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इस नगर में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित केन्द्रीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधि चल रही है। पुराने शहर के अनेक हिस्सों में वाणिज्यिक विकास है। नगर में वर्तमान में गतिविधियों को रिटेल एवं होलसेल व्यापार, कृषि मंडी एवं अनौपचारिक क्षेत्र में व्यापक रूप में विभाजित किया जा सकता है। रिटेल एवं अनौपचारिक गतिविधियाँ केन्द्र में स्थित मुख्य बाजारों में पाई गई हैं। अनेक वस्तुतः छोटे पैमाने की रिटेल दुकाने हैं जो कि मुख्यतः घरों के भूतल से चलाई जाती है।

उपरोक्त विद्यमान वाणिज्यिक विकास को समाहित करते हुए वाणिज्यिक उपयोग के अधीन 280.72 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई हैं जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 5.69 प्रतिशत है, खरगोन नगर के वर्तमान वाणिज्यिक स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है की नगर में ही अन्य स्थानों का समुचित अध्ययन कर वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रस्तावित की जावें अतः विकास योजना-2031 में स्थलों के पुनर्विलोकन कर नवीन वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें प्रमुखतः डायवर्सन रोड पर स्थित पी. डब्लू. डी. कार्यालय से समीप एवं वर्तमान में विकसित राधा वल्लभ मार्केट के समीप स्थित रिक्त भूमियों को वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव दिये गए हैं।

d. 'khrx'g , oa Hk. Mkj .k% वर्तमान में नगर में शीतगृह एवं भण्डारण हेतु गोदामों का अभाव है। इस हेतु निवेश इकाई क्र.-5 में 12 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

[k. l Cth e. Mh- , oa Qny e. Mh@dckMh , oa i Ukh cktkj % वर्तमान में सब्जी मण्डी श्री कृष्ण टॉकीज के पीछे स्थित है। यह स्थान वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुसार कम पड़ता है, जिसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। कबाड़ी एवं पत्ती हेतु वर्तमान में कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अतः सब्जी मण्डी@फूल मण्डी हेतु निवेश इकाई क्रमांक-4 में बिस्तान रोड़ पर स्थित अनाज मंडी स्थानांतरण होने की स्थिति में सब्जी मंडी एवं फल मंडी हेतु प्रस्तावित किया गया है।

x- fdjkuk@Fkksd cktkj% वर्तमान में यह बाजार महात्मा गांधी मार्ग, हास्पिटल मार्ग, जवाहर नगर, तिलकपथ, बिस्तान मार्ग आदि पर संचालित है जो भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जिसके लिए निवेश क्रमांक-1 में विश्रामगृह एवं राधावल्लभ मार्केट के निकट प्रस्तावित है।

?k- Hkou fuekZk l kexh % वर्तमान भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें डायवर्सन रोड, बिस्तान रोड एवं सनावद रोड़ पर यत्र तत्र स्थित है इसके कारण जनसाधारण को सामग्री एकत्रित करने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निवेश इकाई क्रमांक % 1 में सनावद रोड़ पर प्रस्तावित किया गया है।

vukf pkfj d {ks= %

अनौपचारिक वर्ग की नगर की आर्थिक गतिविधियों में बड़ी भूमिका है। अनौपचारिक वर्ग के विक्रेता सार्वजनिक/निजी क्षेत्र स्थलों में कार्य करते हैं या घूम-फिर कर सामान बेचते हैं या अपने सामानों को ढेलों या साइकिल पर उठा कर या अपने सिर पर रखकर जगह-जगह या बस आदि में घूम कर बेचते हैं। यह विक्रेता भारतीय शहरी भूस्थलाकृति एवं नगर की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होते हैं। इनको ढेला पर चलती-फिरती दुकान, फुटपाथ या सड़क पर, चौकी या दुकान के रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

खरगोन में स्ट्रीट विक्रेताओं की सटीक संख्या पर कोई सारभूत आंकड़े नहीं हैं। तथापि, एक चिन्हित विशेषता यह है उनकी उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आबादी की 1 प्रतिशत आबादी दर अर्थात् करीब 1000 स्ट्रीट विक्रेता वर्तमान में खरगोन में हैं। यह विक्रेता शहर के आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं – यह रोजगार का ही एक मुख्य स्रोत नहीं है बल्कि अधिकांश शहरी आबादी को किफायती सेवाएं भी प्रदान करता है। इसलिए, इस क्षेत्र के लिए विकास योजना में भवन निर्माण तथा आर्थिक गतिविधियां समाहित करने की नीति अपनाई गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं।

- सामान्य व्यावसायिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान।
- सेवा सम्बन्धी थोक व्यापार, माल लादने व उतारने का प्रावधान।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद प्रमोद क्षेत्रों, उद्यान, औद्योगिक क्षेत्रों और परिवहन टर्मिनलों के पास सेवा सम्बन्धी दुकानों का प्रावधान।
- आवास क्षेत्रों के पास सेवा क्षेत्रों के प्रावधान।
- रैन बसेरों के लिये आवासीय क्षेत्रों में प्रावधान।

2-8-4 vkS| kfXd%

खरगोन नगर में व्यापक औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। जिसका मुख्य कारण रेल सुविधा का अभाव एवं पानी की कमी है। वर्तमान में कृषि आधारित उद्योग बिस्तान रोड़, खंडवा रोड़, जुलवानिया रोड़ पर स्थित है। नगर में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र जुलवानिया मार्ग पर स्थित है जो भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से काफी कम है। नगर में कृषि आधारित उद्योगों की काफी संभावना है। इस हेतु वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र से लगकर जुलवानिया रोड़ पर अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग के अंतर्गत 221.76 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कुल प्रस्तावित विकसित का 4.50 प्रतिशत है।

2-8-5 I kołtfud , oa v) I I kołtfud %

इस उपयोग के अंतर्गत 393.84 हेक्टर भूमि आती है। विकास योजना में भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिरिक्त भूमि, विभिन्न इकाईयों में प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में संगठित प्रशासनिक परिसर निवेश इकाई क्र.-1 में स्थित है। स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कार्यालयों की निवेश इकाई स्तर, वृत्त खंड स्तर एवं उपवृत्त खंडस्तर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकास योजना में समुचित प्रावधान किया गया है। विकास योजना में सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग कुल प्रस्तावित भूमि उपयोगों का 7.98 प्रतिशत है।

2-8-6 I kołtfud mi ; křxrk, a , oa I fo/kk, a %

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं के अंतर्गत विभिन्न निवेश इकाईयों में विभिन्न स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 64.96 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 1.32 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत, कब्रिस्तान, शमशान, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण एवं शुद्धिकरण संयंत्र इत्यादि आते हैं। नगर में विद्यमान शमशान/कब्रिस्तान के अतिरिक्त भावी जनसंख्या एवं नगर के फैले हुए स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए एक अन्य शमशान/कब्रिस्तान निवेश इकाई क्र.-4 में नदी एवं उमरखली मार्ग संगम पर प्रस्तावित किया गया है। ट्रेचिंग ग्राउंड इकाई क्रमांक-3 के ग्राम डाबरिया में प्रस्तावित किया गया है। पशुवध गृह (स्लाटर हाउस) हेतु नगर में कोई सुनियोजित स्थान न होकर यह कार्य मध्य क्षेत्र की आवासीय इकाईयों में यत्र तत्र फैला हुआ है जिससे कि मध्य क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है अतः निवेश इकाई क्र.-4 में ईदगाह के पास पशुवध गृह (स्लाटर हाउस) हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है।

2-8-7 vkekn çekn %

इस उपयोग के अंतर्गत विकास योजना में कुल 287.30 हेक्टर भूमि आरक्षित की गई है जो कुल प्रस्तावित भूमि उपयोगों का 5.82 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान, खेल मैदान, खुले क्षेत्र, मेला मैदान, स्टेडियम एवं अन्य आमोद प्रमोद गतिविधियां आती हैं।

2-8-8 ; křk; kr , oa i fjogu %

इस उपयोग के अंतर्गत 496.19 हेक्टर भूमि आती है, जो कुल प्रस्तावित भूमि उपयोगों का 10.06 प्रतिशत है। वर्तमान में नगर में कोई संगठित यातायात नगर नहीं है। नगर में यत्र तत्र माल चढ़ाने एवं उतारने का कार्य हो रहा है। जिससे हल्के एवं भारी ट्रकों की पार्किंग समस्या बनी रहती है। साथ ही नगर में मैकेनिक नगर की समस्या है। ट्रक बॉडी बिल्डिंग का कार्य नगर में विभिन्न स्थलों पर हो रहा है उसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। नगर में भारी ट्रकों का आवागमन मुख्य रूप से जुलवानिया-कसरावद मार्ग एवं खंडवा मार्ग से होता है। चूंकि उक्त दोनों मार्गों में भारी ट्रकों का आवागमन आबादी क्षेत्र से होता है। अतः भारी ट्रकों

का मध्य क्षेत्र में प्रवेश निषेध करते हुए प्रस्तावित बायपास मार्ग और खण्डवा मार्ग के संगम स्थल के समीप दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित बाईपास और बिस्टान मार्ग के संगम स्थल के समीप प्रस्तावित किया गया है।

2-8-9 i ; kbj.kh; : i l s l ōnu'khy {ks= , oa ou %

नगर की पश्चिमी सीमा से लगकर कुन्दा नदी दक्षिण से उत्तर को बहती है। नदी किनारे पर्यावरण नजरिए से संवेदनशील है एवं इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। नदी के दोनों तरफ की जमीन पूर्ववर्ती विकास योजना में हरित बेल्ट का एक भाग है जिसको संरक्षित रखने की जरूरत है। पर्यावरण सुधार के अंतर्गत कुन्दा एवं डालकी नदियों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

कुन्दा नदी के तट के संरक्षण के लिए वणार ग्राम से लगी हुई भूमि पर वृक्षारोपण/सोशल फॉरेस्ट्री प्रस्तावित किया गया है।

2-9 fuos'k bdkbz; kj %

तुलनात्मक वृद्धि से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर निवेश इकाई के मूल सिद्धांत के आधार पर नगर की विकास योजना तैयार की गई है। विकास योजना में नगर केन्द्र प्रमुख कार्य केन्द्र, नगर स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य एवं आमोद-प्रमोद केन्द्र, बस स्टैण्ड से इन इकाइयों को समुचित रूप से जोड़ना प्रस्तावित है। प्रत्येक इकाई को आवासीय क्षेत्रों एवं वृत्तखंडों में विभाजित किया गया है जिसमें वृत्तखंड स्तरीय बाजार एवं अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर में विद्यमान विभिन्न भूमि उपयोगों एवं प्रस्तावित विकास के रूप स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भौतिक संरचना के अनुरूप एक सुलभ एवं सरल आकार प्रदान कर इसे 5 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

fuos'k bdkbz; Øekd&1 %


निवेश इकाई-1 की सीमा संलग्न मानचित्र अनुसार राज्य राजमार्ग क्रमांक-1 और सनावद की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित है, इस निवेश इकाई में मांगरूल बुजुर्ग, भाडली, बलवाड़ी (आंशिक), तुकलावाद, बेलमार, नवाबपुरा (आंशिक), बिजलगांव खुर्द (आंशिक), बीड बुजुर्ग, मांगरूल खुर्द, खरगोन (आंशिक), जैतपुरा (आंशिक), सुखपुरी (आंशिक), शाहपुरा, मेनगांव (आंशिक), पिपराटा एवं फाजिलपुरा (आंशिक) ग्राम सम्मिलित है।

fuos'k bdkbz; Øekd&2 %

निवेश इकाई-2 की सीमा, संलग्न मानचित्र अनुसार सनावद की ओर जाने वाले मार्ग और राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 (खंडवा की ओर) के मध्य में स्थित है इस निवेश इकाई में खरगोन (आंशिक), जैतपुरा (आंशिक), नवाबपुरा (आंशिक), बिजलगांव खुर्द (आंशिक), बिजलगांव बुजुर्ग,

खरगोन

2.3 निवेश इकाई



- निवेश इकाई सीमा
- निवेश क्षेत्र सीमा
- नगर पालिका सीमा
- ग्राम सीमा
- जलाशय
- नगरीय मार्ग



0 0.25 0.5 1 2 3 Kilometers

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

सोनीपुरा, खेड़ी खानपुरा, दानापुरा, काजलपुरा (आंशिक), गोपालपुरा (आंशिक), मेहरजा (आंशिक) एवं मागरिया ग्राम सम्मिलित हैं।

fuos'k bdkbz Øekd&3 %

निवेश इकाई-3 की सीमा, संलग्न मानचित्र अनुसार राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 खंडवा की ओर जाने वाले मार्ग और राज्य राजमार्ग क्रमांक-31 (बिस्तान की ओर) के मध्य में स्थित है इस निवेश इकाई में खतवास, जामला, मागरिया, डाबरिया, राजपुरा, गोपालपुरा (आंशिक), मेहरजा (आंशिक), खरगोन (आंशिक), काजलपुरा, आरामपुरा एवं सांगवी ग्राम सम्मिलित हैं।

fuos'k bdkbz Øekd&4 %

निवेश इकाई-4 की सीमा, संलग्न मानचित्र अनुसार राज्य राजमार्ग क्रमांक-31 बिस्तान की ओर जाने वाले मार्ग और राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 जुलवानिया की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित है इस निवेश इकाई में भसनेर, महुकुण्डिया, हीरापुर, जामला, खरगोन (आंशिक), मनावर, खेड़ी बुजुर्ग (आंशिक), चौड़ी, आदमपुरा, जमशेदपुरा, सांगवी (आंशिक), गोंगाव, मुफलीसपुरा, बनिहार (वणार), सिनखेड़ा, रणगांव (आंशिक), एवं मोमिनपुरा ग्राम सम्मिलित हैं।

fuos'k {ks= bdkbz Øekd&5 %

निवेश इकाई-5 की सीमा, संलग्न मानचित्र अनुसार राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 जुलवानिया की ओर जाने वाले मार्ग और राज्य राजमार्ग क्रमांक-1 (खरगोन की तरफ) आने वाले मार्ग के मध्य में स्थित है इस निवेश इकाई में सिरपुर, बिरोठी, बरडिया, फाजिलपुरा (आंशिक), पिपराटा (आंशिक), मेनगांव, रणगांव (आंशिक), दारापुर, बहादरपुरा, दामखेड़ा, सुखपुरी (आंशिक), औरंगपुरा, आरामपुरा, रहीमपुरा, खेड़ी बुजुर्ग (आंशिक) एवं जमशेदपुरा (आंशिक) ग्राम सम्मिलित हैं।

2-10 xke fodkl %uxjh; xke½ %

खरगोन निवेश क्षेत्र में स्थित जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल है, उनका विकास, विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरूप ही किया जायेगा किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है। उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आस पास 200 मीटर परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा।

2-11 e/; {ks= %

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत संघन एवं संकीर्ण मार्गों पर बसा हुआ है, जिसमें नगर का कुछ वाणिज्यिक क्षेत्र स्थित है। अन्य बड़े नगरों की तरह खरगोन नगर में स्थित पुरानी

बस्तियों की अपनी अलग समस्याएं एवं आवश्यकताएं हैं। अतः कार्य संपादन एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुए खरगोन नगर के मध्य क्षेत्र की सीमा खरगोन विकास योजना-2011 के प्रावधानों के अनुसार ही रखा गया है जिसका विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है %

mÙkj- घाटी रोड़ पर गणेश मंदिर तिराहे से ब्राह्मणपुरी होते हुए बिडला मार्ग तक।

nf{k.k- तिलकपथ पर यशवंत लायब्रेरी से गुरुवा दरवाजा तक।

i ðl & बोंदरजी के गोदाम के पास से बिडला मार्ग होते हुये पोस्ट ऑफिस चौराहा होते हुये तिलक पथ पर यशवंत लायब्रेरी तक।

if'pe -गुरुवा दरवाजे से झंडा चौक होते हुए घाटी मार्ग पर गणेश मंदिर तिराहे तक।

2-11-1 ; krk; kr l eL; k, a %e/; {ks=½ %

नगर के मध्य क्षेत्र में मुख्य रूप से यातायात की समस्या एवं सेवा सुविधाओं एवं खुली भूमि का अभाव है अधिकांश मार्ग-3 मीटर से 10 मीटर चौड़े हैं, 3 मीटर चौड़े मार्ग एवं गलियों का उपयोग पदचारी पंथों के रूप में होगा तथा इनमें तीव्र गति वाले वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

d-ekxkã dh pkMkbZ %

नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वर्तमान मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार प्रस्तावित है। वर्तमान मार्ग चौड़ाई जो की प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई से अधिक है वह यथावत बनी रहेगी।

[kjxku uxj dt çeq[k ekxkã dh çLrkfor pkMkbZ

2-सा-9

Øekãd	ekxL dk uke	orëku ekxL pkMkbZ %eh- e½	çLrkfor ekxL pkMkbZ %eh- e½
1	2	3	4
1	महात्मा गांधी मार्ग	5.8	9.0
2	तिलक पथ	18.3	18.0
3	बिडला मार्ग	12.2	12.0
4	तलाई मार्ग	7.00	9.00
5	घाटी मार्ग (झंडा चौक से बावड़ी)	5.50	9.00
6	गुरुवा दरवाजा मार्ग	6.4	9.00
7	हास्पिटल मार्ग	16.2	18.0

[k- okgu fojke LFky ½e/; {ks=½ %

मध्य क्षेत्र में घनी आबादी होने से कोई भी खुला क्षेत्र वाहन विराम स्थल हेतु उपलब्ध नहीं है। इस कारण मध्य क्षेत्र में वाहन विराम हेतु नये प्रस्ताव नहीं दिये गये हैं। इसके पूर्ति हेतु मध्य क्षेत्र के बाहर उनसे लगे हुए क्षेत्रों में वाहन विराम स्थल होंगे। शहर के मध्य में एक जीवंत माहौल और कुशल शहरी आभास देने के लिए सर्राफा बाजार और किला क्षेत्र आदि को जिला व्यापार केन्द्र (सी.बी.डी) बनाने का और अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस को छोड़ कर चार पहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

2-12 vl ær , oa vdk; ðke Hkfe mi ; ksx %

भूमि उपयोग का विस्तृत सर्वेक्षण तथा नगर में यातायात एवं आवासीय आदि परिस्थितियों के संबंध में अध्ययन करने पर पूर्व विकास योजना में नगर में कुछ स्थानों पर असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोग पाए गए हैं। असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग निर्धारित करते समय उस उपयोग का कार्य सम्पादन क्षमता एवं विशेषताएं, पर्यावरण, प्रदूषण, नगरीय भूमि का दुरुपयोग, यातायात में होने वाली रूकावटें, आसपास के क्षेत्र से भिन्न उपयोग आदि बातों का अध्ययन किया गया है। अकार्यक्षम एवं असंगत भूमि उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है।

पूर्ववर्ती विकास योजना में कुछ निश्चित असंगत एवं अपर्याप्त उपयोगों की पहचान की गयी थी जिनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। विकास योजना 2031 में कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव निम्न तालिका अनुसार प्रस्तावित है।

vl ær , oa vdk; ðke mi ; ksxka dh l ph

2—सा—10

Ø-	Hkfe mi ; ksx	orðku LFky	çLrkfor LFky	fj ä Hkfe dk çLrkfor mi ; ksx	
1	2	3	4	5	
1.	जिनिंग (औद्योगिक)	सनावद रोड (डी. आर. पी. लाइन के समीप)	जुलवानिया मार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	
2.	जिला अस्पताल के पीछे स्थित सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सनावद रोड (जिला अस्पताल के पीछे)	जिनिंग (सनावद रोड)	आवासीय

	एव अर्द्ध सार्वजनिक एवं हरित क्षेत्र	हरित क्षेत्र	सनावद रोड (जिला अस्पताल के पीछे)	डी.आर.पी लाइन	
3.	यातायात नगर (खंडवा रोड)		कृषि विश्व विद्यालय के समीप (खंडवा रोड)	ग्राम डाबरिया मे ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप	मिश्रित
4.	आवासीय क्षेत्र, वर्तमान मे रिक्त (डायवर्शन रोड)		राधा वल्लभ मार्केट एवं आरती टाकीज के समीप	जिला अस्पताल के पीछे	वाणिज्यिक
5.	औद्योगिक क्षेत्र (डालकी नदी के पूर्व दिशा की ओर)		जुलवानियामार्ग (डालकी नदी एवं कुंदा नदी के मध्य)	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र (डालकी नदी के पश्चिम दिशा की ओर)	आवासीय

। ~~KS~~ % नगर तथा ग्राम निवेश सर्वे अनुसार

खरगोन विकास योजना 2031 निर्मित करते समय असंगत एवं अपर्याप्त उपयोगों की पहचान की गयी थी जिनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसका विस्तृत सर्वे अनुसार यह ज्ञात होता है कि, खरगोन विकास योजना 2011 को प्रकाशित हुए कुल 15 साल व्यतीत हो चुके हैं परंतु सारणी में उल्लेखित स्थानों पर आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई विकास संभव नहीं हो सका है।

इस संबंध में खरगोन विकास योजना का पुनर्विलोकन करते हुए, यह सर्वे किया गया की किन कारणों से यह भू-उपयोग विकसित नहीं हो पाया है। जिनके सर्वे अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :

1. जिला अस्पताल के सामने स्थित औद्योगिक भू-उपयोग में आरक्षित भूमि सनावद रोड स्थित जिनिंग का विकास संभव नहीं हो सका है, क्योंकि यह क्षेत्र नगर के मध्य मे स्थित होने से औद्योगिक गतिविधियों हेतु उपयुक्त नहीं रहा है। चिकित्सा से जुड़ी गतिविधियों का संचालन इसके आस पास हो रहा है यहां अनेक शासकीय एवं निजी अस्पताल, चिकित्सक क्लीनिक, दवाइयों की दुकानें आदि विकसित हैं यहां यह उल्लेखनीय है कि, खरगोन विकास योजना 2011 में औद्योगिक प्रायोजन की भूमि जिला अस्पताल के सामने ही आरक्षित की गई थी जो वर्तमान मे नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यदि

उद्योग यहां स्थापित होते हैं तो, आसपास के आवासीय क्षेत्र, अस्पताल एवं मरीजों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा जिसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जलप्रदूषण एवं ध्वनिप्रदूषण की संभावनाएं प्रबल होंगी।

अतः इस भूमि को आसपास हो रहे विकास से सामंजस्य बैठाते हुए सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग आरक्षित किया जा रहा है, जिस अनुसार सनावद रोड यह क्षेत्र मेडिकल हब के रूप में स्थापित हो सके। उद्योगों को शहर के बाहर स्थापित करने के उद्देश्य से जुलवानिया मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जहां पर इस औद्योगिक क्षेत्र को समायोजित किया जा सकेगा।

2. शहर के सुनियोजित विकास हेतु अकार्यक्षम उपयोगों का परीक्षण अनुसार ज्ञात हुआ कि, जिला अस्पताल के पीछे स्थित खरगोन विकास योजना 2011 में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा हरित क्षेत्र निर्देशित किया गया था। परंतु विकास योजना के 15 सालों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त स्थल पर विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग के अनुसार विकास नहीं हो सका है जिसका प्रमुख कारण उस स्थान पर भू-उपयोग का असंगत उपयोग है।

अतः जिसे नियोजित रूप से सनावद रोड जिनिंग स्थित औद्योगिक परिक्षेत्र में, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू उपयोग में परिवर्तित कर विकास योजना 2031 में प्रावधान किए गए हैं जिस अनुसार जिला अस्पताल के समीप चिकित्सा रूपी अधोसंरचना में एकरूपता रखते हुए यह क्षेत्र विकसित हो सकें एवं इस भूमि पर आसपास के हो रहे विकास अनुसार आवासीय भू-उपयोग, विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किया गया है साथ ही खंडवा मार्ग स्थित डी.आर.पी लाइन में शासन द्वारा आरक्षित फलोद्यान की भूमि पर हरित क्षेत्र को सुनियोजित रूप से विकास हेतु प्रावधान दिए गए हैं शासन के ही द्वारा किये गए भूमि आरक्षण से वह क्षेत्र पूर्ण रूप से फलोद्यान एवं हरित क्षेत्र के रूप में शहर के उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा।

3. शहर के यातायात सर्वे अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि, शासन द्वारा यातायात नगर के विकास हेतु ग्राम डाबरिया में भूमि आरक्षित की गई है, जिस पर नगर पालिका खरगोन द्वारा भविष्य में विकास किया जावेगा, परंतु खरगोन विकास योजना 2011 में यातायात नगर हेतु निवेश क्षेत्र में दो यातायात नगर प्रस्तावित किए गए थे। जिसमें से एक रिंग रोड 2 पर प्रस्तावित है एवं दूसरा राज्यकीय मार्ग क्रमांक 26 (खंडवा की ओर) पर स्थित है। चूंकि शासन द्वारा ग्राम डाबरिया में यातायात नगर हेतु भूमि आरक्षित की जा चुकी है जिसके समायोजन अनुसार खंडवा रोड पर स्थिति यातायात नगर को परिवर्तित कर, ग्राम डाबरिया में शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर खरगोन विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किया गया है एवं उक्त रिक्त स्थान पर मिश्रित क्षेत्र प्रस्तावित किया है।

4. खरगोन नगर के विस्तृत सर्वेक्षण अनुसार यह ज्ञात होता है कि यह नगर, वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकासशील है परंतु खरगोन विकास योजना 2011 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु पर्याप्त रूप से नगर में स्थान प्रस्तावित नहीं किए गए थे, जिसके फलस्वरूप आवासीय क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होना पाई गई है। जिससे यह तात्पर्य है की, शहर को व्यवस्थित वाणिज्यिक स्थानों की अत्यंत आवश्यकता है जिस अनुसार नगर के स्थलों का परीक्षण अनुसार खरगोन नगर में वाणिज्य गतिविधियां हेतु सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि वर्तमान में स्थित राधावल्लभ मार्केट, सीता वल्लभ मार्केट, आरती टॉकीज एवं डायवर्जन मार्ग पर वाणिज्यिक गतिविधियां हेतु पर्याप्त स्थान एवं संभावनाएं हैं। वर्तमान में इन विकसित वाणिज्यिक परिसरों के समीप ही रिक्त स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें डायवर्जन रोड स्थित क्षेत्रों को वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु खरगोन विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किया गया है जिससे भविष्य में वह क्षेत्र वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकें। इन स्थानों से भिन्न नगर में कोई अन्य स्थान उपलब्ध ना होने से यह स्थल पार्किंग एवं खुला क्षेत्र होने से अत्यंत उपयुक्त है इस स्थल पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र को जिला अस्पताल के पीछे स्थित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा हरित क्षेत्र में नियोजन की दृष्टि से आवासीय भू उपयोग में प्रस्तावित किया गया है, जिससे उसके आसपास हो रहे विकास को एकरूपता प्रदान की जा सके।
5. शहर को जीवन प्रदान करने वाली कुंदा नदी एवं इसकी सहायक डालकी नदी खरगोन नगर के मध्य से प्रवाहित होती है, जिसे संरक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। परंतु सर्वे अनुसार यह ज्ञात हुआ कि कुंदा नदी जो कि आगे जाकर नर्मदा नदी में समायोजित होती है उसे शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक है। खरगोन विकास योजना-2011 में कुंदा नदी के समीप ही औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसका सूक्ष्म अध्ययन एवं पुनर्विलोकन कर कुंदा नदी से दूर प्रस्तावित किया गया है, जो डालकी नदी की पूर्व दिशा की ओर प्रस्तावित किया है। इस अनुसार उद्योगों से होने वाले दुष्प्रभाव से कुंदा नदी को मुक्त रखा जा सकेगा, इस हेतु नगर पालिका खरगोन द्वारा ट्रीटमेंट प्लांटो का भी विकास किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि कुंदा नदी के समीप खरगोन विकास योजना 2011 में निर्दिष्ट औद्योगिक भूमि जो वर्तमान में रिक्त है वह उद्योग परिक्षेत्र से मुक्त किया जावे एवं कुंदा नदी से दूर, उद्योगों को जुलवानिया स्थित मार्ग पर परिवर्तित किया जावे। उद्योग परिक्षेत्र से मुक्त भूमि पर आवासीय भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है। कुंदा नदी के समीप ही आवासीय गतिविधियों के मद्देनजर नगर पालिका खरगोन को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना आवश्यक होगा जिससे कुंदा नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है, उसे स्वच्छ रखा जा सके।

3-1 ; krk; kr l j puk , oa uxjh; v/kk j puk

3-1 ; krk; kr r %

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन एक कठिन कार्य है क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं विकास को प्रभावित करता है। वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु टेम्पो, आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा, एवं हाथ ठेलों का उपयोग प्रचलन में है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। प्रचलित हल्के वाहनों में कार, जीप, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि हैं।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों/रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

नगर की यातायात प्रणाली निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है:-

1. दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
2. मुख्य गतिविधि एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्गों की व्यवस्था करना।
3. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।

3-2 ; krk; kr i) fr ea l q/kkj %

नगर की सड़कों पर भारी आवागमन दिन भर बना रहता है। यातायात सर्वेक्षण के विश्लेषण से ज्ञात होता है की वास्तव में सड़क पर प्रचलित यातायात शहर के बाहर जाने योग्य है। खरगोन में प्रचलित यातायात का 40 प्रतिशत नगर के बाहर से किया जा सकता है। रिंग रोड या बाईपास का प्रावधान करके खरगोन नगर की आंतरिक सड़कों का भार लगभग आधे से कम किया जा सकता है। सर्वेक्षण में यह भी पता चलता है की शहर के मध्य वाले क्षेत्र में सड़के संकीर्ण हैं और चार पहिया वाहनों के आवागमन के लिए सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए किले क्षेत्र को धरोहर क्षेत्र घोषित कर एम्बुलेंस, अग्निशमन, वाहन पैदल चलने वालों, साइकिल ट्रेक्स, ऑटों रिक्शा और आपातकालीन सेवा वाहनों को छोड़कर चार पहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

3-3 çLrkfor ; krk; kr ç.kkyh %

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अंतर्संबद्धता स्थापित करने हेतु पूर्व विकास योजना 2011 में जितने भी क्षेत्रीय/नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे उनका अधिक क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं मार्ग सरंचना के अंतर्गत अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। इस कारण से 2011 में प्रस्तावित मार्ग सरंचना को वर्तमान स्थिति के अनुरूप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है।

खरगोन विकास योजना के लिए प्रस्ताव श्रेणियों में वर्गीकृत कर नीचे उल्लेखित है :

1. प्रमुख मार्गों की चौड़ाई
2. जंक्शन डिजाइन और सुधार
3. पदचारी मार्ग और साइकिल ट्रैक
4. पार्किंग प्रावधान
5. मार्ग प्रकाश व्यवस्था
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं
7. सार्वजनिक परिवहन
8. ट्रांसपोर्ट नगर/माल ढुलाई टर्मिनल
9. बस डिपो/बस स्टैंड
10. ऑटो स्टैंड

3-3-1 çedk ekxkd dh pSMkbZ %


नगर के सड़क नेटवर्क/ढाँचे को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विकास योजना में आवश्यक मार्गों की उचित चौड़ाई का प्रावधान किया गया है जिससे आवश्यकता होने पर पैदल चलने वालों के लिए मार्ग, और साइकिल पथ जैसी सुविधाएं आदि की योजना बनाई जा सके। खरगोन की सड़कों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. बाईपास/वृतीय मार्ग/राजमार्ग 45 मीटर
2. मेजर जिला रोड 24 मीटर
3. सब डिवीजनल रोड 18 मीटर

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता

खरगोन

3.1 वर्तमान परिभ्रमण संरचना



- क्षेत्रीय मार्ग 
- नगरीय मार्ग 
- बस स्थानक 
- निवेश क्षेत्र सीमा 
- नगर पालिका सीमा 
- ग्राम सीमा 
- जलाशय 





0 0.25 0.5 1 2 3 Kilometers

 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश


खरगोन

3.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना



- रिंग रोड
- मुख्य मार्ग
- उप मार्ग
- बस स्थानक(वर्तमान)
- बस स्थानक(प्रस्तावित)
- यातायात नगर(वर्तमान)
- यातायात नगर(प्रस्तावित)
- सामान्य मार्ग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश



बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, चौराहों का सुधार आदि सम्मिलित है। विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई इस प्रकार है।

orëku ekxkã grq çLrkfor pkMkbZ

3-सा-1

I - Øekd	ekxkã dç uke	pkMkbZ %ehVj e½	
		orëku	çLrkfor
1	2	3	4
1.	खंडवा मार्ग	16-35	36
2.	सनावद मार्ग	11-29	36
3.	कसरावद मार्ग	26-50	36
4.	जुलवानिया मार्ग	12-31	36
5.	बिस्तान मार्ग	19-33	36
6.	उमरखली मार्ग	16-32	36
7.	डायवर्सन मार्ग	18-30	36
8.	मंगरूल मार्ग	9-12	18
9.	तलाई मार्ग	4-6	12
10.	गुरवा दरवाजा मार्ग	3-5	9
11.	झंडा चौक से बावडी (घाटी मार्ग)	4-6	9
12.	महात्मा गांधी मार्ग	3-11	9
13.	पुराना हास्पिटल रोड	11-16	18
14.	तिलक पथ	5-16	18
15.	बी टी आई मार्ग	10-16	12
16.	श्री राम धर्मशाला मार्ग	20-22	24
17.	टैगोर कॉलोनी मार्ग	10-15	18
18.	जवाहर मार्ग	9-23	24
19.	बिरला मार्ग	6-12	12

ukv % जिस स्थान पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई, प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है। वहाँ वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखना होगा।

3-3-2 tD'ku fMtkbu vkj I qkkj %

खरगोन नगर में चौराहे सबसे अधिक सक्रिय केन्द्र है, यह भी पाया गया कि इन मार्ग संगमों पर पार्किंग, वाणिज्यिक गतिविधियां आदि भी सक्रिय रहती है। यह भी महसूस किया गया की

इन गतिविधियों से चौराहों पर यातायात का आवागमन, भीड़भाड़ और जाम की स्थिति बनती है और चौराहों पर यातायात क्षमता काफी कम हो जाती है, सर्वेक्षण के विश्लेषण में यह देखा गया है की मुख्य चौराहों पर कुल यातायात अपने चरम सीमा के दौरान प्रति घंटे 500 पीसीयूएस से 600 पीसीयूएस था, जबकि रोटरी और संकेत के बिना एक दो लेन चौराहे की क्षमता 1500–200 पीसीयूएस हैं, इसलिए प्रमुख चौराहों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह तकनीकी रूप से यातायात की मात्रा की गणना पर आधारित है, जिससे सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए न्यायसंगत डिजाइन का निर्धारण किया जा सकता है।

निम्नलिखित मुख्य चौराहों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है :

1. नगरपालिका चौक
2. बिस्टान चौक
3. गायत्री मंदिर चौक
4. उमरखली तिराहा
5. बावडी चौक
6. डाकघर चौराहा

3-3-3 i knpkjh ekxl vkj I kbfdy Vfd %


खरगोन नगर के परिवहन नेटवर्क में पैदल चलने वाले और साइकिल पथ पूरी तरह से उपेक्षित पाये गये हैं, जो की शहरी गतिशीलता के सबसे टिकाऊ और कुशल वाहन साधनों में से एक हैं। खरगोन में सड़कों पर कोई भी साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों को फुटपाथ सुविधा उपलब्ध नहीं है। खरगोन की सड़कों में कुछ हिस्सों पर सतत गतिशीलता विकल्प देने के लिए साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों का फुटपाथ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यातायात मात्रा की गणना के दौरान गैर मोटराइज्ड परिवहन (एनएमटी) को कुल यातायात का लगभग 20 प्रतिशत पाया गया, इसलिए ऐसी सेवा योजना के लिए प्रस्ताव काफी आवश्यक हो जाता है। शहर के केन्द्र/मध्य में एक जीवंत माहौल और कुशल शहरी आभास देने के लिए सर्राफा बाजार और किला क्षेत्र आदि को जिला व्यापार केन्द्र (सीबीडी) बनाने का और अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस के लिए छूट के साथ क्षेत्र को चार पहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का क्रॉस सेक्शन दिया जा रहा है जिसमें साइकिल ट्रैक/ग्रीन वर्ज/सर्विस डक्ट का प्रावधान किया गया है।

3-3-4 okgu fojke LFky@i kfdx çko/kku %


खरगोन में पार्किंग अधोसंरचना का अभाव है और सभी वाहनों को शहर में सड़क के किनारे खड़ा किया जाता है। इसका प्रभाव पैदल मार्ग, सड़क पर पैदल चलने वाले लोग साइकिल

3.3 (अ) खरगोन मार्गों का क्रॉस सेक्शन

अल्टीमेट




इंटरमीडिएट




24 मी० मार्ग

अल्टीमेट



इंटरमीडिएट



18 मी० मार्ग


- जल आपूर्ति लाइन
- सीवर लाइन
- लौ टेंशन लाइन
- दूरसंचार केबल

नोट :


- यह मानचित्र सांकेतिक है, इसे वर्किंग मानचित्र नहीं समझा जाये।

3.3 (ब) खरगोन मार्गों का क्रॉस सेक्शन

अल्टीमेट




इंटरमीडिएट




45 मी० मार्ग

अल्टीमेट



इंटरमीडिएट



36 मी० मार्ग

नोट :

- यह मानचित्र सांकेतिक है, इसे वर्किंग मानचित्र नहीं समझा जाये।
- ग्रीन वर्ज पर देशीय प्रजाति के वृक्ष लगाए जाये।

चालक आदि पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा भी रहता है। पार्किंग को विभिन्न स्थानों पर गंभीर समस्या के रूप में पहचाना गया है, यह केवल तालाब चौक, डाकघर चौराहा, नगर पालिका चौक, बस स्टैण्ड, सरकारी अस्पताल, बावडी, बस स्टैण्ड आदि तक सीमित नहीं है, सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा गया है की पार्किंग की जगह का 80 प्रतिशत उपयोग दो पहिया वाहनों द्वारा किया जाता है, जो की कुल वाहनों से होने वाले यातायात का लगभग 50 प्रतिशत है।

3-3-5 ekxk' i j çdk' k 0; oLFkk%

खरगोन नगर में सड़कों पर प्रकाश और लोक सेवा जैसे शौचालय, मूत्रालय, प्रतीक्षा घर, बैठक क्षेत्र आदि व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शहर में मुख्य रूप से खण्डवा मार्ग, सनावद मार्ग, बिस्तान चौक से उमरखली तिराहा और डाइवर्जन मार्ग पर सड़कों पर प्रकाश के लिए प्रावधान देखा गया है, जो की लगभग 50 मीटर के अंतर पर है, जो की बहुत अधिक है, जिसे 20 मीटर के अंतर से किया जाना चाहिए।

3-3-6 I kołtfud i fjogu %

खरगोन परिवहन विभाग ने हाल ही में, छोटे वाहनो के माध्यम से शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की है, आने वाले भविष्य में विकास योजना में सार्वजनिक परिवहन मार्गों को चिन्हित करने का प्रस्ताव है, ताकि उपलब्ध मार्गों को अतिक्रमण से बचाया जा सके और आवश्यकता होने पर छोटे वाहनो के फेरे या मिनी बस आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा भी शहर में शुरूकी जा सके।

खरगोन में सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए प्रस्तावित मार्गों को चिन्हित किया गया है :

çLrkfor ekxk' dh I ph %

1. जुलवानिया मार्ग पर खेडीबुजुर्ग से पोस्ट ऑफिस चौक तक
2. कसरावद मार्ग पर सुखपुरी से बस स्थानक तक
3. पोस्ट ऑफिस चौक से खण्डवा मार्ग पर अम्बे दाल मील तक
4. नगर पालिका चौक से सनावद मार्ग पर जैतापुरा तक
5. बस स्थानक से बिस्तान मार्ग पर महर्षि विद्यामंदिर तक

3-3-7 Vkd i kV/ uxj @eky <gykbl Vfeluy %

खरगोन कपास आधारित उद्योगका केन्द्र है, यहाँ से लगभग 150 भारी वाहनों की यात्राएं प्रतिदिन प्रारंभ या समाप्त होती है, और क्योंकि खरगोन में कोई माल दुलाई टर्मिनल नहीं है, इन भारी वाहनों को शहर की सड़कों पर चलते या खडा देखा जा सकता है। इसलिए माल दुलाई टर्मिनल या ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव दो स्थानो पर दिया

जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के संभावित स्थान शहर की सीमा के बाहर और सभी दिशाओं से बाईपास से सुलभ होना चाहिए।

पूर्व विकास योजना में ट्रक टर्मिनल के लिए रिंग रोड-2 एवं खण्डवा मार्ग के समीप स्थल प्रस्तावित किया गया था। जिन पर कोई कार्य नहीं हुआ है चूँकि राजस्व विभाग द्वारा ग्राम डाबरिया में यातायात नगर हेतु भूमि आरक्षित की है जिसे विकास योजना में सम्मिलित करते हुये खण्डवा मार्ग पर पूर्व प्रस्तावित यातायात नगर को परिवर्तित कर ग्राम डाबरिया में स्थानांतरित किया गया है।

विकास योजना में वृद्धित निवेश क्षेत्र के ग्रामों को सम्मिलित करने के फल स्वरूप क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है जिस कारण चारों ओर से अन्य बड़े नगरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए नगर में दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्ताव है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक स्थान प्रस्तावित रिंग रोड-2 मार्ग पर एवं दूसरा स्थान प्रस्तावित रिंग रोड-5 मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है।

3-3-8 CI fMiks@CI LV&M %

खरगोन नगर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय परिवहन सेवा के लिए शहर पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है, सर्वेक्षण के दौरान पाया गया की खरगोन खण्डवा, सनावद, कसरावद, इन्दौर, बिस्तान और जुलवानिया के साथ सघन संपर्क में है। लेकिन शहर में एक ही प्रमुख बस स्थानक है, जो बड़े हुए यात्री, यातायात एवं स्थान की कमी तथा यातायात दबाव से ग्रसित है। अतः बस सेवा के स्तर में गुणवत्ता और नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक बस स्थान/बस डिपों के लिए विकास योजना में प्रस्ताव दिया जा रहा है। बस स्थानक के लिए कुन्दा नदी एवं प्रस्तावित जिला कलेक्ट्रेट के समीप बस स्थानक के लिए भूमि आरक्षित की गई है।

3-3-9 v,Vks vkj rk&k LVSM %

एकत्रित आकड़ों के अनुसार खरगोन प्रशासन के साथ लगभग 800 ऑटों और 100 तांगा पंजीकृत है। तांगा पोस्ट ऑफिस से जैतापुर मार्ग पर संचालित है, जबकि ऑटो खरगोन से सभी मुख्य मार्गों पर मध्यवर्ती परिवहन सेवा के रूप में कार्य कर रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार, कुल यातायात का लगभग 10 प्रतिशत ऑटों और तांगों के रूप में शामिल है। ये वाहन सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है। लेकिन उचित पार्किंग, रिक्त स्थान की कमी के कारण, यह यातायात के प्रवाह के लिए समस्या पैदा कर रहे है। इसलिए ऑटों स्टैण्ड हेतु स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है। स्टैण्ड के लिए भूमि के अभाव में इन्हें सड़क पर खड़े देखा जा जाता है। तांगा के स्टैण्ड के लिए भी जगह उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

v, Vks vkj rkxks d' fy, LFkku uhps n' kkZ; s x; s gS %

1. बस स्टैण्ड
2. खण्डवा रोड पेट्रोल पम्प
3. बस स्टैण्डो के अन्दर
4. पोस्ट ऑफिस चौक
5. झंडा चौक
6. तालाब चौक
7. मोहन टॉकिज
8. तोडी चौक
9. औरंगपुरा चौक
10. नवगृह मंदिर
11. बिस्तान नाका
12. गांधी नगर
13. बजरंग नगर
14. बावडी बस स्टैण्ड
15. मंगरूल रोड

3-4 uxjh; v/kks j' puk %

3-4-1 ty çnk; %

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में कुन्दा नदी ही जल प्रदाय का प्रमुख स्रोत है, इसके अतिरिक्त नगरवासी हेण्ड पंप जो नगर के विभिन्न भागों में स्थित है पर जल प्रदाय हेतु आश्रित है। वर्ष 2031 के लिए लगभग 42.34 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता होगी। सीपीएचईईओ मानकों के अनुसार पानी की 135 एलपीसीडी की दर से आपूर्ति करने की आवश्यकता है। तदनुसार भावी मांग का आंकलन किया गया है।

ty vki frl vko'; drk dk vuoku

3-सा-2

o"kl	tul a'; k	ekax ¼, e-, y-Mh-½
1	2	3
2021	218500	32.45
2026	249500	37.05
2031	285100	42.34
fVli .kh % अतिरिक्त 10% मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवेश क्षेत्र के लिये जल प्रदाय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिये तत्काल पूरे निवेश क्षेत्र के लिये जल प्रदाय की योजना बनाने की आवश्यकता है जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है।

3-4-2 $\text{ty\&ey fudkl } \%$

वर्तमान में नगर में भूमिगत जल-मल निकास एवं विसर्जन की व्यवस्था नहीं है। नगर में भूमिगत जल तंत्र का प्रावधान करना प्राथमिक आवश्यकता प्रतीत होता है। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मार्ग निर्देशों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जलमल निकासी की व्यवस्था वहां की जल आपूर्ति की 80% मात्रा के लिए की जानी चाहिए। नीचे दी गई तालिका में 2031 तक की जल-मलउत्पत्ति का आंकलन किया गया है।

I host dk vupku

3-सा-3

o"kl	tul a; k	vupkfu I host ¼, e., y.Mh.e%
1	2	3
2021	218500	25.96
2026	249500	29.64
2031	285100	33.87

fVli .kh % जल आपूर्ति मांग की मात्रा के 80% की दर से सीवेज जनरेशन

इस संबंध में स्थानीय संस्था द्वारा सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र के लिये योजना तैयार की जानी चाहिये, जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है।

3-4-3 Bkd vof'k"V çca/ku %

सीपीएचईईओ मानकों के अनुसार नगर में कूड़े कचरे की उत्पत्ति की मात्रा 0.2 से 0.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होती है। खरगोन के लिए यह अनुमानतः 0.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। भावी मांग का आंकलन नीचे दिया गया है।

dpjk tujs'ku dk vupku] 2031

3-सा-4

o"kl	tul a; k	vupkfu tujs'ku ¼, e- Vh.e%
1	2	3
2021	218500	60.09
2026	249500	68.61
2031	285100	78.40

fVli .kh % अतिरिक्त 10% मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है

ठोस अवशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्रोत सिद्ध होगी। पुनर्चक्रीकरण प्रणाली ठोस अवशिष्ट, कागज, लोह धातु, काँच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अवशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आस-पास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठोस अवशिष्ट निपटान हेतु ग्राम डाबरिया में प्रस्तावित यातायात नगर एवं प्रस्तावित रिंग रोड-5 के समीप ट्रेडिंग ग्राउंड हेतु भूमि विकास योजना में आरक्षित की गई है।

3-4-4 fo | r çnk; %

वर्ष 2031 तक आवश्यक विद्युत आपूर्ति की मात्रा का अनुमान यू.आर.डी.पी.एफ.आई मार्ग निर्देशों पर आधारित है, जिसके अनुसार खपत की सिफारिश 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अथवा केडब्ल्यूएच प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जिसमें घरेलु व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं।

fo | r vki frl ekx dk fo' ysk.k

3-सा-5

fo r vki frl ekx		
1	2	3
o"kl	tul a; k	fo r ekx ¼; fuVdMCY; w p e½
2021	218500	218500000
2026	249500	249500000
2031	285100	285100000

विकास योजना की सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मांगों पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि विद्यमान इंफ्रस्ट्रक्चर में सुधार करते हुए विद्युत संचरण क्षमता को बढ़ाया जाए। यू.आर.डी.पी.एफ.आई मार्गनिर्देशों के अनुसार, 15 हजार की जनसंख्या के लिए 33/11 केवी के एक विद्युत सब स्टेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। अतः वर्ष 2031 तक की जनसंख्या की विद्युत मांग को मेन स्टेशन से 33 केवी वोल्टेज स्तर पर विद्युत के आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए नगर के अन्दर अथवा आसपास 33/11 केवी के अतिरिक्त सब स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता है। समुचित सड़क मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है।

3-4-5 Hk&ty vko/kū %

नगर में जलसंकट उत्पन्न होने की स्थिति में पुराने तथा नये जल स्रोतों का संवर्धन आवश्यक है। कुआ, हैंडपंप, एवं नलकूपों में वर्षा जल को एकत्रित कर भू-जल पुनर्भरण एक कामगार तकनीक है। इस पद्धति का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में किया गया है। इसका पालन प्रत्येक विकासकर्ता/निर्माणकर्ता को करना अनिवार्य है।

3-5 I kepkf; d I fo/kk, rFkk vU; mi [kMh; vko'; drk, a %

3-5-1 vfXu'keu I ok dUæ%

वर्तमान में नगर में 2 अग्निशमन केन्द्र स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3-5-2 'e'kku ?kkV , oa dfcLrku %

नगर में वर्तमान में जो श्मशान/कब्रिस्तान विद्यमान है वे तब तक उपयोग में रहेंगे जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावें। नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट, आमोद-प्रमोद एवं प्रस्तावित मार्गों को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जाएगा।

4-1 çor'khyrk %

इन नियमनों का उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अन्दर की निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

1. निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन शामिल है तथा भूमि के अन्य उपयोगों के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊंचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका सीमा से बाहर हैं, किंतु निवेश क्षेत्र सीमा के अन्दर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

4-2 {ks=kf/kdkj %

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जायेगा। यह सम्भावना है, कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिह्नित किये गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आन्तरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाये गए हैं।

4. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोंपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, अथवा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभाग एवं उनके उपक्रमों द्वारा कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु विकसित की जाने वाली योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ नदियों/जलाशय के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में उक्त व्यवस्थापन निर्माण ग्राह्य होगा।
5. विकास योजना में जो मानचित्र, रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो, के आधार पर की जायेगी।
6. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी।
7. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भमाना जावेगा।
8. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भू-व्यावर्तन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनापत्ति दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुसंशा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/भूआरक्षण/आवंटन स्वीकृति विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है।
10. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगी।

11. विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।
12. ऐसे क्षेत्र एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध आवश्यक होंगे, इसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होंगे।
13. निवेश क्षेत्र स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना 2031 के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी।

4-3 i fj Hkk"kk, %

- | | |
|---|---|
| mi ; ksx i fj {ks= | & मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र। |
| mi ; ksx i fj j | & उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो। |
| vfhku; kl | & अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूपरेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार अंकित हो। |
| Hkñe mi ; ksx ekufp= | & सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा। |
| i fj {kf=d ; kst uk | & निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो। |
| uxjh; xke | & भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएंगे। |
| uxjh; fojkl r | & नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो। |
| , dy/l a ðä i fjokj grq
Hkñ[k. Mh; fodkl | & अपने सभी समानांतर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप- विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार के आवास हेतु किया जाना हो। |
| I {ke çkf/kdkjh | & मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार। |
| vU; i fj Hkk"kk, | & मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होंगी। |

4-4 mi ; ksx i fj {ks= , oa mi ; ksx i fj | j %

निवेश क्षेत्र को मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के अनुसार 8 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

mi ; ksx i fj {ks= % [kj xksu

4-सा-1

वृत्त-	mi ; ksx Jf.k; ka	mi ; ksx i fj {ks=
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय उपयोग / ग्राम आवासीय परिक्षेत्र
2	मिश्रित	मिश्रितउपयोग
3	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक परिक्षेत्र
4	औद्योगिक	औद्योगिक परिक्षेत्र
5	आमोद प्रमोद	आमोद प्रमोद परिक्षेत्र
6	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवंअर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र
7	यातायात एवं परिवहन उपयोग (सड़क, बस अड्डा इत्यादि)	यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र
8	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं परिक्षेत्र
9	जल निकाय	नदिया, झील, तालाब, नाला, नहर
10	कृषि	कृषि ग्रामीण परिक्षेत्र

4-5 uohu vkokl h; i fj {ks= grq fu; eu %

1. इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदाय करना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे-भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर., भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। सारणी में आवासीय क्षेत्रों का आच्छादन तथा सीमांत खुला क्षेत्र वर्णित है। सारणी में दर्शाये भूखण्ड आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए।

4. एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी जब आवश्यक सेवाएं जैसे—जल प्रदाय, मल निकास, विद्युतीकरण पार्किंग सुविधा आदि का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएँ वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे भूखंडों का आकार 288 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 85 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे।
5. मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन निर्बन्धन एवं शर्तें अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित की जाएगी।
6. अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
7. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी 4-सा-2 अनुसार होंगे।

vkokl h; Hkw[kM fodkl eki nM

4-सा-2

Ø-	Hkw[kM vkdj ½ehVj e½	{ks=Qy oxl ½ehVj e½	fodkl dk çdkj	Hkiry ij fufet' {ks= çfr'kr	I hekar [kqyk {ks= ½ehVj e½			
					vxl	i"B	vk tw	ck tw
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.0x8.0	32	पंक्ति	60	2.5	0.0	0.0	0.0
2	4.0x12.0	48	पंक्ति	60	2.5	1.5	0.0	0.0
3	5.0x15.0	75	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0
4	7.0x15.0	105	पंक्ति	50	3.0	1.5	0.0	0.0
5	9.0x15.0	135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0
6	11.10x18.0	200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	2.5	2.5	0.0
7	11.10x18.0	200	अर्द्ध पृथक्कृत	42	3.50	2.5	3.0	1.5

8	12.0x18.0	216	अर्द्ध पृथक्कृत	42	3.50	2.50	3.0	1.5
9	12.0x24.0	288	अर्द्ध पृथक्कृत	40	4.50	2.50	3.0	1.5
10	15.0x24.0	360	अर्द्ध पृथक्कृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0
11	15.0x27.0	405	अर्द्ध पृथक्कृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0
12	18.0x30.0	540	अर्द्ध पृथक्कृत	33	8.0	3.0	4.0	3.0
13	20.0x30.0	600	अर्द्ध पृथक्कृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0
14	25.0x30.0	750	अर्द्ध पृथक्कृत	30	12.0	4.5	4.5	4.5

उपरोक्त सारणी एकल परिवार/संयुक्त परिवार हेतु भूखंडीय विकास हेतु प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त भवन की ऊंचाई एवं अन्य मापदंड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होंगे।

- सारणी के अनुक्रमांक – 1 से 4 के भूखंड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में इन पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होंगे। समस्त भूखंडों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात अधिकतम 1.25 अनुज्ञेय होगा।
- सारणी के अनुक्रमांक-9 से 14 में दर्शाये भूखंड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखंडों पर स्वीकार्य आवासीय इकाइयों की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 द्वारा अधिशासित होंगे।
- ऐसे भूखंड जिनका क्षेत्र नियमित अथवा अनियमित हो एवं जो सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस, अच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ अथवा निवेश अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- समूह आवास में स्वीकार्य भू-तल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में न की जाये।
- भवन की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु भूतल पर आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊंचाई 14.5 मीटर तक हो सकेगी।

- एकल/संयुक्त परिवार के भूखंड पर 4 आवासीय इकाईयों से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।
- भूतल के नीचे बेसमेंट स्वीकार्य होगा जो कि अधिकतम स्वीकार्य भूतल आच्छादन के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में नहीं की जायेगी।
- निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे।
- एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा। जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय इकाई में जिसमें कुकिंग, वरान्दा तथा बाथरूम सह शौचालय होना आवश्यक होगा। 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिये। झुगियों की पुनस्थापित की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड स्वीकार्य होंगे।

4-5-1 I eg vkokl %

V- समूह आवास हेतु मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के प्रचलित प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होंगे।

4-5-2 fof/k cgeft yh bdkbz fuekZ k %

V. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रचलित मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

4-6 QkeZ gkml , oa —f" k lk; Mu I foèkk %

विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म एवं कृषि पर्यटक सुविधा जैसी गतिविधियां, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम अनुसार नियंत्रित होंगी।

4-7 e/; {ks= %

मध्य क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन, स्थल ऊंचाई, भवन का आकार एवं संरचना अथवा अन्य उपयोग जिसमें भवन या भूमि का उपयोग किया जा सकता है, इन सभी के संदर्भ में परिक्षेत्र के अन्दर अथवा सेंटर में होने वाले विकास के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।

मध्य क्षेत्र की सीमाएं अध्याय 2 में वर्णित की गई हैं। निम्न नियमन एवं मापदण्ड मध्य क्षेत्र की सीमा बांधने वाले वर्तमान मार्गों के अन्दर संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे।

v vkokl h; {ks= %

नगर के अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिए भूखण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। निर्मित क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियमित आकार एवं माप के हैं लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर.) तथा भूखण्ड आच्छादन प्रस्तावित किये गये हैं।

e/; {ks=% Q' khz {ks= vuq kr ¼, Q-, -vkj-½ rFkk Hku[k. M vkPNknu

4-सा-3

Ø-		vkPNknu ½ufefr {ks=½ rFkk Q' khz {ks= vuq kr ½vf/kdre½
1	2	3
1	भूखण्ड का क्षेत्रफल	90 वर्गमीटर तक
	निर्मित क्षेत्र	75 प्रतिशत
	फर्शी क्षेत्रानुपात	1.5
2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	90 वर्ग मी. से अधिक तथा 180 वर्गमीटर तक
	निर्मित क्षेत्र	66 प्रतिशत
	फर्शी क्षेत्रानुपात	1.25
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	180 वर्ग मी. से अधिक
	निर्मित क्षेत्र	60 प्रतिशत
	फर्शी क्षेत्रानुपात	1.25

½c½ or¼ku okf. kFT; d {ks= %

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :-

- d- मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- [k- अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो तो, आवासीय क्षेत्र, भूतल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- x- फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- ?k- वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई 2 गुना से अधिक नहीं होगी।
- M+ वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा। किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड-100 प्रतिशत (अधिकतम निर्मित क्षेत्र)
- 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड-80 प्रतिशत (अधिकतम निर्मित क्षेत्र)
- फर्शी क्षेत्र अनुपात -2.00

Vhi %

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक है, तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूपसे स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

¼ ½ orëku ekxkã ij okf.kfT; d xfrfof/k; ,a %

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियों, मार्गों पर संचालित है अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

d- वाणिज्यिक मार्ग

[k- वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई व फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्न सारणी में दर्शाये गये हैं।

orëku okf.kfT; d {ks=ka ea ekxkã dh pkMkbZ , oa Q' khZ vuq kr

4-सा-4

Øekãd	ekxZ dk uke	oxhãdj .k	çLrkfor ekxZ pkMkbZ ehVj ea	Q' khZ {ks= vuq kr
1	2	3	4	5
1	महात्मागान्धी मार्ग	सी*	9	2.0
2	तिलकपथ	सी*	18	2.0
3	हास्पिटल मार्ग	सी*	18	2.0
4	डायवर्शन मार्ग	सी*	36	2.0
5	घाटी मार्ग	आर. सी**	9	1.5

6	गुरुवादेरवाजा मार्ग	आर.सी.**	9	1.5
7	तलाई मार्ग	आर. सी**	9	1.5
8	बिड़ला मार्ग	आर. सी**	12	2.0

सी.* :वाणिज्यिक

आर.सी.** : आवासीय सह वाणिज्यिक

Vhi %&

1. जिन स्थानों पर मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक है, पर वर्तमान चौड़ाई ही यथावत रहेगी।
2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु छोड़ना पड़ेगा।
3. वाणिज्यिक मार्गों पर तलघर का उपयोग, भण्डारण अथवा पार्किंग के रूप में होने पर उसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में नहीं की जाएगी।
4. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक सह आवासीय मार्गों पर वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई, 2गुणा स्वीकार्य होगा।

fufetr {ks=

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जाएगी:—

25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड — 100 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड — 90 प्रतिशत

4-7-1 orleku fodfl r {ks= grqfodkl fu; eu%

¼½ orleku vkokl h; {ks=

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा :—

or̄eku vkokl h; fodkl gr̄q Hk& [k.M dk vkdkj , oa fufe'r {ks=

4-सा-5

Hk& [k.M dk {ks=	vkPNkfnr {ks=	Q' khZ {ks=kuq kr
1	2	3
90 वर्ग मीटर से कम	66%	1.25
90 से अधिक 180 वर्ग मीटर तक	60%	1.00
180 वर्ग मीटर से अधिक	50%	1.00

Vhi %

मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

½ vkokl h; fodfl r dkykfu; ka gr̄q eki n.M %

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु, उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कालोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माणके लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

¼ ½ or̄eku okf.kfT; d {ks= %

मध्यक्षेत्र के अलावा निम्न मार्गों को भी वाणिज्यिक मार्ग माना गया है :-

or̄eku okf.kfT; d vU; ekxka dh pkMkbZ , oa Q' khZ {ks=kuq kr

4-सा-6

Øekad	ekxZ dk uke	oxhZdj .k	çLrkfor ekxZ pkMkbZ (ehVj e#	Q' khZ {ks= vuq kr
1	2	3	4	5
1	बिस्तान मार्ग	सी*	36	2.0
2	खण्डवा मार्ग	सी*	36	2.0
3	जवाहर मार्ग	सी*	18	2.0

4	श्रीराम धर्मशाला मार्ग	सी*	24	1.75
5	डायवर्शन मार्ग	सी*	36	2.0
6	टैगोर पार्क मार्ग	सी*	12	2.0
7	सनावद मार्ग	सी*	36	2.0
8	जुलवानिया मार्ग	सी*	36	2.0

सी* : वाणिज्यिक

Vhi %

1. वाणिज्यिक मार्गों पर तलघर का उपयोग, भण्डारण अथवा पार्किंग के रूप में होने पर उसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में नहीं की जाएगी।
2. मध्य क्षेत्र के बाहर स्थित वाणिज्यिक मार्गों पर वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई के 2 गुणा स्वीकार्य होगा परन्तु उक्त वाणिज्यिक उपयोग विकास योजना में आरक्षित आमोद-प्रमोद, हरित क्षेत्र, जलाशय एवं कृषि भू उपयोग में मान्य नहीं होगा।

4-8 okf.kfT; d {ks= %

okf.kfT; d fodkl grq eki n.M

4-सा-7

	oxl	fLFkfr	Hkw[k.M dk fufefr {ks= ¼Hkw[k.Mh; fodkl ½	fufefr {ks= ¼fuxfer fodkl ½	Q' khZks = vuq kr
1	2	3	4	5	6
1	नगर केन्द्र	मध्य क्षेत्र	80%	50%	2.00
2	निवेश इकाई केन्द्र	सभी निवेश इकाई केन्द्र	80%	50%	2.00
3	खण्डस्तरीय केन्द्र	परिक्षेत्रक योजना प्रस्ताव अनुसार	80%	50%	1.50
4	स्थानीय केन्द्र	परिक्षेत्रक योजना प्रस्ताव अनुसार	80%	50%	1.25
5	सुविधाजनक दुकानें	अभिन्यास प्रस्ताव अनुसार	80%	50%	1.00

6	गोदाम एवं भण्डार	—	70%	50%	1.50
7	थोक बाजार	—	70%	50%	1.50

Vhi %

1. फर्शी क्षेत्रानुपात 18 मीटर से अधिक चौड़े वाणिज्यिक मार्ग पर 2.00 तथा 18.00 मीटर से कम चौड़े वाणिज्यिक मार्ग पर 1.75 स्वीकार्य होंगे।
2. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्र में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकार्य होंगे।
3. उपरोक्त इकाईयों के अभिन्यास में 50 प्रतिशत भू-खण्ड एवं 50 प्रतिशतपार्किंग, खुला क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग का प्रावधान किया जावेगा तथा जो भू-खण्ड बनेंगे उनके लिये उपरोक्त नियमन लागू होंगे।
4. आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक विकास हेतु फर्शी क्षेत्रानुपात उस क्षेत्र के आवासीय विकास के लिए निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात अनुरूप ही स्वीकार्य रहेगा। अन्य मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रहेंगे।
5. संगठित बाजार केन्द्रों की अनुज्ञा केवल उपदर्शित वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही दी जावेगी।
6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में मार्ग, फुटपाथ, वाहन विराम इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात का दुगुना, फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़नेको प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

4-9 vks| kfxd fodkl ekud %

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के नियम 48 के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे।

4-10 lkekftd v/kksl j puk gsrq ekud%

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखंडीय आवश्यकताएँ मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के नियम 49 (1) सारणी (6) के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे।

4-11 ; krk; kr uxj@edfud uxj d% ekud%

यातायात नगर /मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक रहेंगे :-

; krk; kr uxj dē ekud

4-सा-8

Øekad	dk; l dk çdkj	bdkbz; ka %çfr 100 Vd½	vud kf l r {ks=Qy dh l hek çfr %bdkbzx l fd-eh½
1	2	3	4
1	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2	कलपुर्जा की दुकानें	10-15	9-72
3	यांत्रिकी एवं विद्युत वर्कशाप	15-25	7.5-135
4	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5	ढाबा	5-7	30.90
6	चाय नाश्ता दुकान	8-19	9-14
7	पान, सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8	नाई, सिलाई दुकान	1	10-15

Vhi % सकल क्षेत्र 1.1 से 1.5 हेक्टर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता होती है।

यातायात/मैकेनिक नगर में सेवा सुविधाओं के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

; krk; kr uxj ea l fo/kvka dē eki n. M

4-सा-9

Øekad	l fo/kk	{ks=Qy çfr bdkbz %ox l ehVj½	fVli . kh
1	2	3	4
1	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम
2	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3	पेट्रोल पम्प	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4	होटल लॉज	600	ऊपरी मंजिल पर
5	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर

6	उपचार गृह	200	—
7	अग्निशमन केन्द्र	200	—
8	घर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

Vhi %

1. सकल क्षेत्र 0.25 हेक्टर प्रति 100 ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र
2. परिभ्रमण तंत्र:

अभिन्यास 18 मीटर चौड़े
द्वितीय मार्ग 9-12 मीटर चौड़े
खुले क्षेत्र की ओर के मार्ग 12-18 मीटर चौड़े

3. वाहन विराम एवं खुले स्थल :

36 वर्ग मीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में।

4-12 b7ku Hkjo , oa Hkjo I g&l ok d0æ %

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र हेतु मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (चार) के प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होंगे।

4-13 Nfcx'g ¼I uækl½ grq eki n.M %

छबिगृहों (सिनेमा) हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार लागू होंगे।

4-14 tu I fo/kkvka grq fodkl ekud %

4]14-1 I kepkf; d [kqys LFkku rFkk I fo/kk, %

सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधाओं हेतु नियमन मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार लागू होंगे।

4-15 'k&kf.kd , oa vuq a'kku d0æ %

'k&kf.kd , oa vuq a'kku d0æ ¼ vkB gDVj I s vf/kd {k= d0 cM& i fj I j grq ½ %&

इन नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय, चिकित्सा, यांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान के बड़े परिसर शामिल किये गये हैं। परिसर को तीन भागों में विभक्त किया गया है, तथा नियमन निम्नानुसार होंगे :-

'k{kf.kd , oa vuq 'kku d'æ grq eki nM

4-सा-10

(अ)	f'k{k k l æd'kh ç'kkl u l fgr	(कुल भूमि का 45 प्रतिशत मार्गों सहित)
	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अकादमी एवं प्रशासकीय क्षेत्र का 20%
	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.80
अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर एवं ठीक नीचे तलघर स्वीकार्य होगा। यदि तलघर का उपयोग वाहन विराम एवं सेवाओं के अंतर्गत किया जायेगा तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जावेगी।		
(आ)	vkokl h;	(कुल भूमि का 25 प्रतिशत मार्गों सहित)
यह क्षेत्र 400 व्यक्ति प्रति हेक्टर की कुल सघनता के साथ विकसित किया जायेगा। आवासीय से संबद्ध सुविधाओं हेतु 9.2 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति की दर से भूमि आरक्षित की जायेगी। समूह आवास हेतु उप विभाजन नियमन लागू होंगे।		
(इ)	[kys , oa l kl-frd xfrfof/k; ,a	(कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत)
	अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र 10 प्रतिशत
	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.15
(ई)	m ku , oa Hk&- ' ; hdj .k	(कुल भूमि का 15 प्रतिशत)
क्षेत्र के लिए उपयुक्त भू-दृश्यीकरण योजना तैयार की जायेगी।		
जहां विशेष नियमन नहीं दिये हों वहां सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि परिसरों के लिये निम्न मापदण्ड लागू होंगे।		
	अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	1.00

4-16 vU; fu; æ.k %

अन्य नियंत्रण जो विकास योजना में उल्लेखित नहीं है वह मध्यप्रदेश विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार लागू होंगे।

4-17 l ðnu' khy {ks=ka grq fu; eu%

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियों का नियंत्रण निम्न नियमन के आधार पर किया जाएगा :

1. नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होगा।
2. कीचड़ मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
3. पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जाएगा जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैंको रोका जा सके। (संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना प्रस्तावित)
4. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंध होंगे।
5. तालाबों के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, ग्रिडल मल लाइन, जब उसका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा।
6. नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो।
7. तालाबों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के संग्रहण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
8. कुंदा नदी के दोनों किनारों पर न्यूनतम 30 मीटर का हरित क्षेत्र रखा जावेगा जिस पर किसी प्रकार का भवन निर्माण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।
 - ऐतिहासिक महत्व।
 - नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
 - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हों, तो भी समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासितीय भवन।

4-18 mi ; ksx i fj {ks=ka ea mi ; ksx i fj l jka dh vupfr %

वह उपयोग जो 8 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर स्वीकार्य हैं वे निम्नानुसार है :-

Hkñfe mi ; ksxks es Loh—r mi ; ksx

4—सा—11

Ø-	Hkñfe mi ; ksx	i fj {ks= ea Loh—r mi ; ksx
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, स्थानीय निकाय कार्यालय/फायर ब्रिगेड, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
2.	मिश्रित	आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग में स्वीकृत उपयोग मान्य/स्वीकार्य होंगे।
3.	वाणिज्यिक	अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लैट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/ कम्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह,

		कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
4.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फ्लैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं / अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, उद्योग के स्टाफ क्वार्टर/कर्मचारी आवास, बैंक/ए.टी.एम., बस डिपो, वर्कशाप, बस टर्मिनल, रात्रि आश्रय गृह, रेलवे माल गोदाम, कर्मशाला, गोदाम, उद्योग से संबंधित सेवाएं तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग, गैस भण्डारण, शीतगृह, एलपीजी रीफिलिंग प्लांट, रासायनिक उद्योग, मद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय,

	<p>खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-आध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजि एवं कार्पोरेट कार्यालय, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य कार्यालय, वाणिज्यिक कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, परिचर्चा हॉल, व्याख्यालय, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, औषधालय, ग्रंथालय, संग्रहालय, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, सभागृह, पुलिस पोस्ट, सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं, कलावीथिका, प्रदर्शन कक्ष, शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे- महाविद्यालय, विविध शिल्प, कला मंदिर, तकनीकी संस्थाएं, शोध प्रयोग शालाएं, साधारण एवं विशिष्ट चिकित्सालय, चिकित्सा प्रयोग शालाएं, स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मशाला, आश्रय गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकाने, पेट्रोल पंप, शासकीय विश्रामगृह, मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, खेल के मैदान, कला केन्द्र सार्वजनिक सेवाएं, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं, सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **</p>
--	---

6.	vkekn&çekn नगर उद्यान	खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, नेबरहुड पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणउद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, पर्यटक कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस ,सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	स्टेडियम/खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, खेल क्लब, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सार्वजनिक शौचालय, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृतिक, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	हरित क्षेत्र	खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर,

		पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेलवेस्टेशन एवंरेलवे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टैंड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8.	सार्वजनिकसेवाएंएवं उपयोगिताए	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टॉवर/स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। शमशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ, मैरिज गार्डन, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र /ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस स्टेशन, स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेन्ट) ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, शीत संग्रहागार, दुग्ध संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, शासन की अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** - (कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन,

	मछली पालन, सेरीकल्चर, केंपिंग सुविधाएँ, अस्तबल, कला प्रदर्शनियों के लिये हाल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप, (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिए कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पुल, ओर केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर।)
--	---

0; k[; k %&

- * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
- ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग— गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है की मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार।

Vhi %& उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड मार्ग हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

Vhik %&

- कृषि उपयोग में सूचना प्रौद्योगिकी, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु F.A.R संबंधित मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप रहेंगे।
- कृषि पर्यटन सुविधा अनुसूची में वर्णित समस्त विकास योजनाओं में कृषि उपयोग के लिए उपदर्शित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों एवं ऐसी अन्य शर्तों जो कि प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें के अध्याधीन रहते हुए कृषि पर्यटन सुविधा अनुज्ञेय होगी।
 - भूखण्ड का न्यूनतम आकार 1.00 हेक्टर होगा।
 - अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 0.10 होगा।
 - ढलुआ छत सहित संरचना की अधिकतम उंचाई 7.5 मीटर होगी।
 - सभी ओर न्यूनतम खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) 7.5 मीटर होगा।
 - भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी।

4-19 fodkl @fuoš'k vuŋk ɕkflr dh ɕfØ; k %

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है :

1. मध्यप्रदेशभूमि विकास नियम 2012 के नियम 14, परिशिष्ट क-(1) में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नियमानुसार समस्त जानकारी का समावेश होना चाहिए।
2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण : खसरा पॉचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण।
3. मध्यप्रदेशनगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अंतर्गत जानकारी।
4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमायें)
5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि क क्रमांक अंकित हो, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जाये।
6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भू-खण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित।
7. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण स्थान।
8. 1:500/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाडियों, वृक्ष यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राईट ऑफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग। विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष, एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हो।
9. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र।
10. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।
11. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन।
12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए।

13. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना होगा।
14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहाँ आवश्यक हो, वहाँ का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

Vhi %

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

4-20 fodkl ; kst uk çLrkoka dh çkflr grq çfØ; k ¼çLrkfor Hku&mi ; ksx1%

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-

1. परिशिष्ट -1 द के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।
3. अद्यतन खसरा पांच साला एवं खसरा खतौनी
4. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो।

5-1 fodkl ; kst uk dk fØ; kUo; u %

खरगोन विकास योजना 2011 का क्रियान्वयन अपेक्षानुरूप ना होने का मूल कारण विकास से संबंधित स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं द्वारा योजनाकाल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है। जिसके फलस्वरूप जन-साधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका। योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध नीति अनुसार अमलीकरण आवश्यक है।

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है। खरगोन विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके गठन होने तक का दायित्व खरगोन नगरपालिका द्वारा वहन किया जायेगा। क्रमावस्था खरगोन विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म प्र गृह निर्माण मंडल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, द्वारा भी अपने सम्बंधित कार्य क्षेत्र में किया जा सकता है, इसलिए यहाँ अपेक्षित होगा की सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे।

; kst uk fØ; kllø; u dh ykxr ½2031½

5-सत-1

Øa	Hkife mi ; ksx fooj .k	{ks= ½gDVj e½			Hk&vtl u ykxr ¼: -½	vftir Hkife d 70 çfr'kr ij fodkl 0; ;			dy
		i Lrkfo r	orøku	'k'sk Hkife tk vftir djuk gS		{ks= gDVj ea	nj çfr gs ij ¼#- djkm+ e½	Ykxr ¼#- djkm+ e½	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vkokl h;	1847.36	984.56	862.80	1553.04	603.96	0.3	181.19	1734.23
2	fefJr	1340.92		1340.92	2413.66	1689.56	0.3	506.87	2920.52
3	okf. kFT; d	280.72	212.82	67.90	122.22	47.53	0.8	38.03	160.25
4	vkS kfxd	221.76	97.89	123.87	222.96	86.71	0.8	69.37	292.33
5	vkekn& i ækn	287.30	16.91	270.39	486.70	189.27	0.25	47.32	534.02
6	; krk; kr , Oa i fjogu	496.19	20.81	475.38	855.69	332.77	0.5	166.38	1022.07
7	I kozt fud v) l I kozt fud	393.84	331.41	62.43	112.37	43.70	0.6	26.22	138.59
8	I kozt fud mi ; kfxrka , , Oa I øk, a	64.96	40.86	24.10	43.38	16.87	0.25	4.22	47.60
9	xanh cflr; ka dk i ; kbj .k I qkkj @ i qLFkk& i uk				एक मुश्त		एक मुश्त	300.00	300.00
10	{kfr i fir l ; ksx %&				एक मुश्त		एक मुश्त	300.00	300.00
		4933.05	1705.26	3227.79	5810.02	3010.37	3.8	1639.59	7449.61

5-2 fodkl fØ; kllø; u dh uhfr%

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी—

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. मिश्रित भू उपयोग द्वारा भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना तथा गन्दी बस्तियों में आवासों की पुनर्स्थापना और अधोसंरचना/सेवाओं को उपलब्ध कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है—

(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम।

(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

6. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
7. आवासीय परिक्षेत्र में भू-खण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

5-3 i ; kbj .k çca'ku , oa l j {k.k dk; Øe %

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो जल स्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है।

अन्य पर्यावरण समस्याएं, जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

5-3-1 i ; kbj .k çca'ku , oa l j {k.k dç çed'k rRo %

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं—

1. जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।

2. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टापडेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
4. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

5-4 uxjh; v/kks j puk , oa l ok ; kst uk %

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

- संस्था गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

uxj v/kks j puk vkj l ok dk; De d c e d k rRo%

1. नियंत्रित विकास।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।

5-4-1 fu; f=r fodkl %

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी। परिसीमन विकास, आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन, परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं/आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जाएगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5-4-2 v/kksl j'puk Hkfe cfd dk xBu %

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

5-4-3 , dh-r uxj fodkl dk; Øe r\$ kj djuk %

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन हेतु समंन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। , dh-r uxj fodkl ;kstuk dk; Øe dk fØ; kllø; u fuEufyf[kr <kps dØ vrxlr fd; k tkdj y{; dh i|frl fd; k tkuk çLrkfor g&

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।
7. गंदी बस्ती निर्मूलन एवं स्लम अपग्रेडेशन हेतु नगर पालिका खरगोन द्वारा प्रोजेक्ट एवं स्कीम के माध्यम से सतत् प्रयास किये जावे।

5-4-4 Hkfe fodkl uhfr %

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए तीन चरणों में प्रावधान है। प्रथम चरण सन 2019 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण 2019 से 2025 तथा तृतीय चरण 2025 से 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास।

5-4-5 I LFkkvka dC ç; kl I ca/kh eq; rRo %

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशन सिद्धांत निम्नानुसार है—

- यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

5-4-6 I d k/ku xfr'khyrk%

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती थी।

नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्ध बहुल अवसरों एवं क्षमता को नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को नियंत्रित करते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित उपाय बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि हो सकते हैं। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश कि लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

5-5 çFke pj .k dk; Øe %

विकास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम तथा उनकी लागत के बाबत प्राप्त होने वाले व्यय के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की तुरंत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। खरगोन नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है ताकि इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकें।

5-6 çFke pj .k fØ; kÙo; u dh ykxr %

प्रथम चरण क्रियान्वयन में 2327.84 लाख के व्यय का अनुमान है। प्रत्येक घटक में राशि व्यय की जवेंगी उसका विवरण सारणी 5-सा-2 में दिया गया है।

i Fke pj.k fØ; klu; u dh ykxr


5-सा-2

Ø-	Hkfe mi ; ksx fooj.k	Hkfe vtü dh ykxr		vftir Hkfe dc 70 i fr'kr dk fodkl 0; ;		ykxr ¼# djksM+ e½	dy ykxr ¼4+ 7½
		Hkfe rd y{;	Ykxr ¼djksM+ e½	{ks= gs ea	nj çfr gs ij ¼# djksM+ e½		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	vkokl h;	443.02	797.44	310.11	0.3	93.03	890.47
2	fefJr	145.46	261.83	101.82	0.3	30.55	292.37
3	Okkf.kfT; d	42.07	75.73	29.45	0.8	23.56	99.29
4	vkSj kfxd	30.03	54.05	21.02	0.8	16.82	70.87
5	I kozt fud v)l I kozt fud	23.73	42.71	16.61	0.6	9.97	52.68
6	I kozt fud mi ; kfxrkq , oa I ok, a	4.58	42.71	16.61	0.25	4.15	46.87
7	vkekn&i ækn	178.30	320.94	124.81	0.25	31.20	352.14
8	; krk; kr , oa i fjogu	150.30	270.54	105.21	0.5	52.61	323.15
9	xanh çfLr; ka dk i ; kbj.k I qkkj@i qLFkkz uk	—			एक मुश्त		100.00
10	{kfri frl	—			—		100.00
	; ksx %&	1017.49	1831.48	712.24	3.8	261.88	2327.84

5-7 ; kstuk i ; bsk.k ra= %


¼v½ ; kstuk i ; bsk.k ra= dks fuEu I hek ea r\$ kj djuk çLrkfor g%

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।



आवासीय -	आर	
मिश्रित -	एम	
वाणिज्यिक -	सी	
सामान्य -	सी1	
यातायात नगर -	सी4	
औद्योगिक -	आई	
आमोद प्रमोद -	जी	
वृक्षारोपण -	जी2	
स्टेडियम -	जी4	
सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक	पी	
यातायात -	टी	
बस स्थानक -	टी1	
रिंग रोड -	टी2	
सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ	पीयूएफ	
निवेश क्षेत्र सीमा		

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश



3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश कर निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

1/2 ; kstuk i ; bsk.k d y{ ; i frl fuEu Lrjka d ek/ ; e l s çklr fd ; k tkuk çLrkfor gš

- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (ड) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथासंसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

fu ; kstu , oa i ; bsk.k l fefr dk xBu %

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः नगर पालिका परिषद का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थायें एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/3130/32/97 दिनांक 20/1/98 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ -3/55/32/98 दिनांक12/8/98द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक-2876 दिनांक 15/5/98 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। विकास योजना क्रियान्वयन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कमेटी की बैठक हर 3 माह में कराई जाएगी। नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका वहन करेगा।

okf"kd fodkl çfronu dk çLrçhdj.k %

नगर पालिका द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5-8 ; kst uk dh 0; k[; k %

विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं, अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय, स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

vkokl , oa i ; kbkl uhfr 2007 dç fØ; kko; u grq 'kkl u }kjk tkjh vkn's kka@
funç kka dk i kyu djuk vfuok; l gksxkA

i fj l jka dh i fj Hkk"kk; &

- 1 vkokl h; Hkk& [kM Hkk& [kM/h; vkokl & एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खंड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खंड सम्मिलित हो।
- 2 vkokl h; Hkk& [k.M l eig vkokl & न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर,जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें,जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 3 vkokl h; ¶yV~ & एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 4 vkokl h; &l g&dk; l Hkk[kM – एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 5 vkokl h; ifj l j & विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहितविशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 6 Nk=kokl ½gkLVy½ & दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 7 vfrffkx'g ckfMk , oa yk¶t x'g & अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 8 /ke l kkyk , oa bl d l ed{k & वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थायीरहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 9 ckjkr ?kj – सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 10 j&cl jk ½ukbV 'kVj½ & ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो,जो कि स्थानीय शासन या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 11 Q/dj n¶ku & आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।
- 12 ejEer n¶ku & गृह सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाईल, साइकिलआदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

- 13 0; fDrxr l ok nqku & फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।
- 14 cfMx cfk – यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।
- 15 l fo/ktud nqku & केंद्र लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।
- 16 LFkkuh; nqku dhz & लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।
- 17 l klrkfgd cktkj@vukf pkfjd l eug bdkbz & बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।
- 18 Fkkd 0; ki kj – ऐसा परिसर जहां से वस्तुएं एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।
- 19 LVkjst xknke , oa Hk.Mkj.k & ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।
- 20 dkM LVkjst ¼ khx'g½ & आवश्यकतापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भंडारण किया जाता हो।
- 21 xJ xknke & ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस की सिलेंडर या अन्य गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जाता हो।
- 22 ry fMi ks & संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण का परिसर।
- 23 dckM-[kkuk – अतिशेष वस्तुएं एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।
- 24 okf.kfT; d dk; ky; & लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।
- 25 cfd & ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।
- 26 ekMj xJst , oa dk; l kkyk & वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।
- 27 Nfcx'g & दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहाँ चल चित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

- 28 iV/ksy iEi & ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो।
- 29 jLVkj @mi gkj x'g & ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।
- 30 gkV/y & ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्करहवास की व्यवस्था हो।
- 31 ekV/y & ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो, तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।
- 32 1yV/M l enj m | ksx – ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।
- 33 l ok d'nz & ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके।
- 34 vkS| kfxd Hku[kM & gYd' m | ksx & अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।
- 35 vkS| kfxd Hku[kM fof' k"Vm | ksx & ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।
- 36 m | ku 1/2 kd/2 & आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन, विराम, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।
- 37 ØhMkxu – बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।
- 38 ckg; [ksy LVfM; e – बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पेवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हों।
- 39 vkrfjd [ksy LVfM; e & अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।
- 40 vkrfjd [ksy gkV/y & ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हो।
- 41 'kVax jst – ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

- 42 rj.k i|dj – ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
- 43 vkekn&i&ekn Dyc & संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।
- 44 ,frgkfl d Lekjd & ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हो।
- 45 i.k.kh m|ku ,oa eRL; ky; & संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां, प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।
- 46 i {kh vH; kj. ; & पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधा युक्त परिसर।
- 47 ouLi fr m|ku & अनुसंधान एवं प्रदर्शनके लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।
- 48 fi dfud gV@dEi & I kbV & ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 49 ¶lykb&Dyc & ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरित खेल गतिविधियां शामिल हों।
- 50 eky ,oa fVdV ?kj & ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन्स द्वारा टिकट घर एवं माल के भंडार के लिए किया जाता हो।
- 51 jsy eky xknke ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।
- 52 jsy fVdV ?kj & ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।
- 53 I M@d i fjogu fVdV ?kj & ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हों।
- 54 okgu fojke & सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।
- 55 टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

- 56 **बस अवसान केंद्र** – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।
- 57 **बस स्थानक** – ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रखरखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो। इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।
- 58 **I koʃtʃud mi ; kʃxrk i fʃl j**
- 1- i kuh dh Vadh & ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल विरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाउस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
 - 2- Hkʃexr Vadh & ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाउस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
 - 3- vkDI hdj.k i kʃM & ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सिकरण हेतु किया जाता हो।
 - 4- I fʃVd Vd & ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हों।
 - 5- ty ey i fʃi x LVʃku & ऐसा परिसर जिसमें उपयोग जल मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
 - 6- I koʃtʃud 'kʃpky; , oa ewky; & ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
 - 7- fo | r mi dʃnz & ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
 - 8- ?kjk , oa dpjk?kj & ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डो को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
 - 9- /kʃch?kʃV & ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।
- 59 **dʃnz 'kkl u dʃ dk; kʃy; &** ऐसा परिसर जिसका उपयोग उपयोग केंद्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 60 **LFkkuh; 'kkl u dʃ dk; kʃy; &** ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

- 61 I koɪfud mi dæ dk; kɪy; & ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालय द्वारा किया जाता हो।
- 62 U; k; ky; & ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 63 'kkl dh; Hkɪe ɪvfu/kkɪj r mi; ksɪ½ & शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।
- 64 fɪfdRI ky; & ऐसा परिसर जिसमें आंतरित एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।
- 65 LokLF; dɪnz & ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरित रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केंद्र भी सम्मिलित हैं।
- 66 mi pkj dɪnz & ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरित बाह्य रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यावसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- 67 vkʃk/kky; & ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।
- 68 Dyɪfud@fɪfdRI k dɪnz & ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।
- 69 mi pkj i: ksɪ'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।
- 70 LoʃPNd LokLF; I ɔk & ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई केम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 71 >ɪyk?kj , oɑ fnol nʃ[k jʃ[k dɪnz & ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केंद्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।
- 72 i ɔl ek/; fed , oɑ fdMj xkMɪ Ldɪy & ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवाएँ उपलब्ध हों।
- 73 i kʃkfed 'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हों।

- 74 ek/; fed 'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।
- 75 mPprj ek/; fed 'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षणकी व्यवस्था हो।
- 76 , dh'd'r 'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षणकी सुविधा हो।
- 77 , dh'd'r vkokl h; 'kkyk & ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।
- 78 egkfo | ky; & ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एव शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 79 0; ol kf; d i f'k{k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण सह कार्य केंद्र शामिल हैं।
- 80 l kekftd dY; k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।
- 81 vuq 'lku , oa fodkl dñz & ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।
- 82 i'rdky; & ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 83 rduhdh i f'k{k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं।
- 84 okf.kfT; d , oa l fpoky; hu i f'k{k.k & ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षणकी सुविधा हो।
- 85 l æhr] uR; , oa ukVd i f'k{k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।
- 86 [ky i f'k{k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरित एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केंद्र भी शामिल है।

- 87 okgu pkyu if'k{k.k dñz & ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षणकी सुविधा हो।
- 88 cky ; krk; kr m|ku & ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो।
- 89 l xgky; & ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।
- 90 dyk nh?kkz ,oa in'kūh LFky & ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छायाचित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।
- 91 l Hkkx'g ¼vkMMVksj; e½ & ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।
- 92 [kyk jæep & ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।
- 93 l kepkf; d Hkou & ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।
- 94 ešyk enku & ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो।
- 95 l kldfrd ,oa l ipuk dñz & ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों
- 96 l kekftd ,oa l kldfrd l lFkk & ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 97 l qkkj x'g & ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 98 vukFkky; – ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 99 /kkfeld ifj|j@Hkou & सभी धर्मों के पूजा स्थल, आश्रम, गौशाला, धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय।
- 100 , dkxrk@; ksx&/; ku dñz vk/; kfRed ,oa /kkfeld iɔpu dñz & सभी परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों। निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

- 101 ifyl pksdh & पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थायी स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 ifyl LV'sku & ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 ftyk ifyl dk; kly; & अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 ukxfjd l j {kk , oa uxj l fud & आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 U; kf; d foKku iz; ksx'kkyk & ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हो।
- 106 tsy & ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 vfXu'keu iklV & ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन की व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 vfXu'keu ifj l j & एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 Mkd?kj & सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 Mkd , oa rkj ?kj & सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 e[; Mkd?kj & सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 VsyhOku , DI pat & परिसर जहां सार्वजनिक टेलिफोन प्रणाली केंद्र स्थापित हो।
- 113 jfM; ks , oa nij n'klu LV'sku & समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यम द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 Vka fe'ku Vkoj , oa ok; jys LV'sku & ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 mi xg , oa nij l pkj dthz & ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 oYk'kkyk , oa ek e dk; kly; & ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

- 117 dfcLrku & मृतको के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर।
- 118 foJke?kkV ¼'ke'kku½ & दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर।
- 119 fl feVh & ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर।
- 120 fo|r nkgx'g & ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह संस्कार किया जाता हो।
- 121 ckx ¼vkj pM½ & सघन फल वृक्षों का परिसर,जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।
- 122 ikYk uLkj h & पौध के उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर।
- 123 ou & सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर।
- 124 Mj h Qkel & ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 125 dðdV Qkel & कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 126 l wj ikyu & सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 127 Qkel gkÅI & एक फार्म पर बनी आवासीय इकाई।
- 128 xkeh.k dnz & एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजना का सुविधायुक्त परिसर।
- 129 eYVhlyDI & दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टॉरेंट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर।

i f j f ' k " V ^ d ^ & 1

1/2 u ; e 14 n f [k , 1/2

uxj RkFkk xke fuo'sk vf/kfu; e]1973 dh /kkjk 16 ; k 29%1/2 d(v) lu fodkl vuqKk grq
vkonu ik: i

प्रति,

.....
.....
.....

महोदय,

में नगरतहसीलजिलाके कॉलोनी
या मोहल्ला या बाजारग्राममें स्थित खसरा क्रमांक
भू-खण्ड क्रमांक क्षेत्र हेक्टर/वर्ग मीटर(विकास के
प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना
चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक
(नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक. जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक्
हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ-

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) :
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) :
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) :
(सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) :
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16(11)
अनुसार) :
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) :
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) :
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदन के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदन स्वामी से
भिन्न हो) :
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्य को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित
करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर
ई-मेल पता

आवेदक का पता
दूरभाष/मोबाईल नम्बर
दिनांक
आवेदक का नाम

Wfu; e 49 fVli . kh 4 nf[k, ½

fodkl vFkok {ks=h; vk; kstuk dC i Lrkoa dks i klr djs dk ik: i

प्रति,

प्रधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिलामौहल्ला/बाजार/तहसील
.....कालोनी/गली/ग्राममें भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक
भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से
संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान किया
जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक : -

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 1973

क्रमांक 2479-1-66-तैंतीस-73, मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत में राज्य सरकारी एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खरगोन निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसके सीमायें नीचे दी गयी अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है।

अनुसूची

खरगोन निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में — शाहपुरा, सुखपुरी तथा दानखेड़ी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक।
2. पश्चिम में — दानखेड़ी, सुखपुरी, रहीमपुरा तथा गोगांवा की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण में — गोगांवा, आरामपुरा तथा काजलपुरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्व में — काजलपुरा, गोपालपुरा, दानापुरा तथा शाहपुरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेशके राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.सी.जैन, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 1973

क्र. 2481-1-66-तैंतीस-73.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2479-1-66-तैंतीस-73, दिनांक 10 अक्टूबर 1973 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.सी.जैन, उपसचिव

Bhopal, the 10th October 1973

No, 2479-1-66-XXXIII-73— Under sub-section (1) of Section 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973(No. 23 of 1973) the State Government for the purpose of this Adhiniyam constitute Khargone Planning Area, the limits of which are defined in the schedule given below :-

SCHEDULE

Limits of Khargone Planning Area.

1. **North** – Shahpura, Sukhpuri and upto the northern limits of Dankheri village.
2. **West** – Dankheri, Sukhpuri, Rahimpura and upto the western limit of Goran village.
3. **South** – Gogan, Arampura and upto the southern limit of Kajalpura village.
4. **East** – Kajalpura, Gopalpura, Danapura and upto the eastern limit of Shahpura village.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
N.C. JAIN, Dy Secy.

e/; i n s' k j k t i = H k k x 3 1/2 i "V Ø e k d 579

f n u k d 1 & 4 & 1977 e a i d k f' k r

u x j r f k k x k e h . k { k s = f u ; k s t u f o H k k x

e/; i n s' k

I p u k

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) में अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट खरगोन निवश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यकरूप से अंगीकृत किया जाता है इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

[k j x k u f u o s' k { k s = d h I h e k ; a

1. m R r j e a & शाहपुरा, सुखपुरी तथा दानखेड़ी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक।
2. i f s p e e a & दानखेड़ी, सुखपुरी, रहीमपुरा तथा गोगांवा की पश्चिमी सीमा तक।
3. n f { k . k e a & गोगांवा, आरामपुरा तथा काजलपुरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
4. i n d l e a & काजलपुरा, गोपालपुरा, दानापुरा तथा शाहपुरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 21 मार्च, 1977 तक नगर पालिका सभागृह, खरगोन में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर उपलब्ध रहेंगे

निरीक्षण स्थल
नगरपालिका कार्यालय
खरगोन

हस्ता./—
W g h - d e t s u 1/2
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्रामीण नियोजन, इंदौर

(भाग –एक मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–एक , दिनांक 13 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित)

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्र. एफ-3-31-2002-बत्तीस.-राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाये हुए, एतद्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के अर्द्धीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खरगौन विकास योजना, 2011 को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाता है।

2. अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :-

- (1) आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.).
- (2) कलेक्टर, खरगोन (म.प्र.)
- (3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खरगोन (म.प्र.)

3. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
Mh- i h- frokjh] उपसचिव

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्र. एफ-3-31-2002-बत्तीस.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-31-2002-बत्तीस, दिनांक 5 दिसम्बर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
Mh-i h-frokjh] उपसचिव

Bhopal, the 5th December 2002

No. F-3-31-2002-XXXII— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Khargone Development Plan, 2011 submitted by the Director, Town and Country Planning, Bhopal under sub-section (3) of section 18 of the said Adhiniyam. The same is being published in “ Madhya Pradesh Rajpatra” for general information as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved development plan shall be available during office hours for inspection in the office of the :

- (1) Commissioner, Indore Division, Indore (M.P.).
- (2) Collector, District Khargone (M.P.).
- (3) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office, Khandwa (M.P.).
- (4) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Khargone (M.P.).

3. The Development Plan shall come into operation from the date of publication of the said notice in “ Madhya Pradesh Rajpatra” as per the provision of section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D.P. TIWARI, Secy

uxjh; fodkl , oa i ; kbj.k foHkkx

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र.- एफ-3-11-2014-32- मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2479-1-66-33, दिनांक 10 अक्टूबर 1973 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत खरगोन निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था। उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को निम्नानुसार पुनरक्षित किया जाता है। वर्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई गई है।

अनुसूची

[kjxku fuosk {ks= dh l hek;]

- mRrj ea &रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, बेडियाव, मेनगांव, पिपराटा, भाडली, मांगरूल खुर्द, बीड बुजुर्ग, बिजलगांव खुर्द ग्राम की उत्तरी सीमा।
- nf{k.k ea &सिनखेडा, आदमपुरा, चौडी, भसनेर, हीरापुर, जामला, डाबरिया, राजपुरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
- iwl ea & राजपुरा, मेहरजा, बडगांव, मागरिया, खेडी खानपुरा, सोनीपुरा, बिजलगांव खुर्द, बीडबुजुर्ग, नवाबपुरा, बिजलगांव बुजुर्ग ग्राम की पूर्वी सीमा तक।
- if'pe ea & भसनेर, चौडी, सिनखेडा, मानावर, रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, मेनगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
o"kkz ukoydj] उपसचिव

क्र. एफ 3-38-2015-अठारह-5.—एतद्वारा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 116-जिसप्र-2001, खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2001 के द्वारा खरगोन विकास योजना 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत गठित समिति को खरगोन विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, खरगोन	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, खरगोन	सदस्य
ग	संसद सदस्य	संसदीय क्षेत्र खरगोन	सदस्य
घ	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, खरगोन	सदस्य
ङ	लागू नहीं	लागू नहीं	सदस्य
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, खरगोन जिला खरगोन	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, गौगांव जिला खरगोन	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मेनगांव (ग्राम मेनगांव)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपराटा (ग्राम पिपराटा)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, बेडियाव (ग्राम फाजिलपुरा, बेजियाव)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, रणगांव (ग्राम सिरपुर बिरोडी, रणगांव)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिनखेडा (ग्राम सिनखेडा)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, जामला (ग्राम खतवास महुकुण्डिया, हीरापुर, जामला).	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, भसनेर (ग्राम भसनेर बनिहार (वणार)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, मागरिया (ग्राम मागरिया, खेडीखानपुरा)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, सोनीपुरा (ग्राम नबाबपुरा, बिजलगांव बुर्जुग, सोनीपुरा).	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, बलवाडी (ग्राम बलवाडी, तुकलावाद, बेलमार).	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, भाडली (ग्राम मांगरूलबुर्जुग, भाडली)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, मांगरूलखुर्द (ग्राम मांगरूलखुर्द)	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत बीडबुर्जुग (ग्राम बिजलगांव खुर्द, बीडबुर्जुग).	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, बडगांव (ग्राम बडगांव)	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, मेहरजा (ग्राम मेहरजा)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, राजपुरा (ग्राम डाबरिया, राजपुरा)	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, रहीमपुरा (ग्राम खेडीबुर्जुग, मनावर), बहादुरपुरा, जमेशदपुरा, आदमपुरा, मोमिनपुरा, चौडी, मुकलीसपुरा).	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत सांगवी (ग्राम सांगवी)	सदस्य
ज	1. कलेक्टर	जिला खरगोन	सदस्य
	2. कार्यपालन यंत्री	म. प्र. विद्युत् मण्डल संभाग, खरगोन	सदस्य
	3. महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र खरगोन	सदस्य
	4. कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, खरगोन	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म. प्र.	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

